राष्ट्रीय कौशल विकास नीति

National Policy on Skill Development

भारत सरकार
श्रम एवं रोजगार मंत्रालय
रोजगार एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय

Government of India
Ministry of Labour & Employment
Directorate General of Employment & Training

पस्तावना

भारत की 11 वीं योजना में यह इंगित किया गया है कि "हमारे बढ़ते हुए श्रम बल को पर्याप्त पैमाने पर खपाने के लिए बेहतर कार्य शर्तों सहित उत्पादक एवं लाभप्रद रोजगार का सृजन समग्र विकास को प्राप्त करेने की कार्यनीति का एक महत्वपूर्ण तत्व होना चाहिए"; तथा "उचित गुणवत्ता तथा जनसंख्या के समस्त वर्गों एवं समस्त स्थलों पर कार्य करने की बेहतर शर्तों सहित रोजगार सृजन के वृहद प्रयास से ही विकास से होने वाले लाभों के समुचित पुनः वितरण को प्राप्त किया जा सकता है" । योजना में इस बात पर बल दिया गया है कि श्रम-सघन विकास को बनाए रखने की क्षमता, आर्थिक वृध्दि एवं सामाजिक विकास की प्रेरक शक्तियों के रूप में कौशल एवं ज्ञान सहित श्रम बल की कौशल क्षमताओं के विस्तार पर निर्णायक रूप से निर्भर करती है । अंतिम उपयोगकर्ताओं की आवश्यकताओं के अनुरूप पर्याप्त संख्या में पर्याप्त रूप से कुशल कार्मिकों के पूल के सृजन तथा गुणवत्ता प्रशिक्षण में वर्तमान 3.1 से प्रतिवर्ष 10 मिलियन से अधिक श्रम बल में वृध्दि करने पर बल दिया गया है । बहुआयामी कार्यनीति में योजित समयबध्द कार्रवाई के द्वारा अन्तराल दूर करने के लिए क्षेत्रवार/प्रदेशवार कौशल कमियों का आकलनः सार्वजनिक-निजी भागीदारी; विद्यमान सार्वजनिक क्षेत्र की मूलभूत अवसंरचना का पुनःसंरेखण/पुनः स्थापन; विश्वनीय प्रत्यायन तथा प्रमाणीकरण प्रणाली की स्थापना; निजी नियाक्ताओं द्वारा क्षेत्रीय कौशल विकास योजनाओं का सृजन; राष्ट्रीय कौशल सूची की स्थापना, जारी रखने योग्य निधियों का सृजन तथा पहुँच स्थलों के रूप में रोजगार कार्यालयों की पुनः स्थापना शामिल है ।

मानव संसाधन को विकसित करने को महत्व दिया गया, ताकि भारत अपनी जनसांख्यकीय रूपरेखा का लाभ उठा सके, जिसे प्रधानमंत्री तथा योजना आयोग द्वारा स्पष्ट किया गया है । श्रम एवं रोजगार मंत्रालय तथा अन्य सरकारी विभागों, राज्य सरकारों उद्योग कामगारों तथा देशभर के समस्त स्टेकहोल्डरों ने भी विभिन्न मंचों पर इस मुद्दे को उजागर किया है । इसे स्वीकार किया जाता है कि राष्ट्रीय कौशल नीति पहले से ही आरंभ किए जा चुके अनेकों प्रयासों सुधारों तथा नवप्रर्वतनों को आरंभ करेन एवं कार्यान्वित करने में सक्षम हो सकती है ।

इस पृष्टभूमि के साथ श्रम और रोजगार मंत्रालय (एम ओ एल ई), ने अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन (आई एल ओ) की साझेदारी में वर्ष 2007 में राष्ट्रीय कौशल विकास नीति का मसौदा बनाने की प्रक्रिया आरंभ की । छह माह की अवधि में किए गए महत्वपूर्ण पृष्ठभूमि कार्य के आधार पर, व्यापक आधारित प्रक्रिया में प्रथम कदम फरवरी, 2008 में राष्ट्रीय परामर्श था जिसमें भारत जिन मख्य चूनौतियों का सामना कर रहा है तथा देश के समक्ष नीतिगत विकल्पों पर विचार-विमर्श किया गया । भागीदारों में कौशल विकास से संबंधित भारत सरकार के समस्त मंत्रालय, योजना आयोग, राज्य सरकारें, ट्रेड यूनियनें नियोक्ता, शैक्षिक संगठन, प्रशिक्षण प्रदाता, संयुक्त राष्ट्र निकाय, प्रयोगकर्ता एवं विशेषज्ञ शामिल थे । 20-21 फरवरी 2008 को राष्ट्रीय परामर्श में लिए गए निर्णयों में से एक निर्णय नीति निर्माण में आगत प्रदान करने के लिए विशिष्ट तकनीकी मुद्यो पर समितियां गठित करना था । तदनुरुप, निम्न 4 समितियां गठित की गई थीं :-

समिति 1 : संचालन, नीति एवं सामाजिक भागीदारों कै सक्रिय रूप से शामिल किया जाना (विभिन्न मंत्रालयों के बीच, केन्द्र/राज्य सरकारों के मध्य, प्रशिक्षण संस्थानों का विकेन्द्रीकरण /अधिक स्वायत्तता);

समिति 2 : गुणवत्ता आश्वासन, राष्ट्रीय अहेता ढांचा एवं प्रमाणीकरण (प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण, प्रासंगिकता कौशल बेमेलपन, मानव संसाधन आयोजना, श्रम बाजार सूचना प्रणालियों एवं एम आई एस सहित);

समिति 3 : असंगठित क्षेत्र हेतु कौशल प्रशिक्षण, समता एवं पहुँच एवं जीवनपर्यत अधिगम तथा ज्ञान अर्थव्यवस्था हेतु कौशल प्रशिक्षण; तथा

समिति 4 : कौशल विकास/प्रशिक्षण का वित्तपोषण

विचार-विमर्श करने एवे विभिन्न क्षेत्रों में नीतिगत विकल्पों पर प्रकाश डालने के लिए इन 4 समितियों (समानांतर सत्र) की एक बैठक अप्रैल 2008 में आयोजित की गई । प्रत्येक समिति में एक राष्ट्रीय विशेषज्ञ, एक आई एल ओ अधिकारी/परामर्शक, श्रम और रोजगार मंत्रालय का एक अधिकारी तथा एक अंतरराष्ट्रीय विशेषज्ञ को शामिल करते हुए एक मसौदा समूह शामिल था । मसौदा समूह ने समितियों की सिफारिशों को मूर्त्त रूप देने के लिए सहायता प्रदान की तथा इसने मसोदा कौशल विकास नीति तैयार करने के लिए आधार तैयार किया ।

जनसामान्य तथा जीवन के विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों से व्यापक आगत हेतु मसौदा नीति श्रम और रोजगार मंत्रालय, आई एल ओ तथा समाधान कार्यालय (एक संयुक्त यूएन कार्यक्रम) की वेबसाइटों पर डाली गई ।

इसी बीच मई, 2008 में सांमजस्य की भावना से कौशलों से संबंधित मंत्रालयों तथा कामगारों एवं कर्मचारियों के साथ पृथक परामर्श बैठकें भी आयोजित की गई थीं ।

बाद में, सभी संबंधित स्टेकहोल्डरों से प्राप्त आगतों के आधार पर एक अद्यतन मसौदे पर परामर्श करने तथा नीति को अंतिम रुप देने के लिए 9 मई, 2008 को द्वितीय राष्ट्रीय परामर्श आयोजित किया गया । पुनः इस परामर्श में योजना आयोग, श्रम और रोजगार मंत्रालय, माइको, लघु एवं मध्यम उद्यम/मंत्रालय (एमओएमएसएमई), अनेक केन्द्रीय मंत्रालयों, राज्य सरकारों, नियोक्ता एवं कामगार संगठनों, सिविल सोसाइटी समूहों, व्यावसायिक तथा प्रशिक्षण संस्थानों, शिक्षाविदों एवं अंतरराष्ट्रीय एवं यूएन/द्विपक्षीय/आई आफ आई भागीदारों के प्रतिनिधियों सहित अनेक प्रकार के स्टेकहोल्डरों ने भाग लिया ।

नीति के कार्यान्वियन में राज्य सरकारों की महत्वपूर्ण भूमिका को देखते हुए, राजय सरकारों से उनके आगे के आगत प्राप्त करने के लिए जून 2008 में एक पृथक परामर्श बैठक आयोजित की गई ।

इन आगतों के आधार पर मंत्रिमंडल हेतु एक टिप्पणी तैयार की गई तथा इसे 9 सितम्बर, 2008 को भारत सरकार के समस्त संबधित मंत्रालयों तथा विभागों को परिचालित किय गया तथा उनमें से 35 ने अपनी टिप्पणियाँ भेजी हैं ।

इन व्यापक अधिरित परामर्शों से प्राप्त फीडबैक को नीति के अंतिम मसौदे में शामिल किया गया। कौशल विकास पर प्रधानमंत्री राष्ट्रीय परिषद तथा राष्ट्रीय कौशल विकास समन्वय बोर्ड से प्राप्त आगतों के आधार पर मसौदे को अद्यतन किया गया । सरकार ने 23 फरवरी, 2009 को नीति का अनुमोदन किया ।

विषय-सामग्री की तालिका

अनुक्रमणिका

अध्याय सं.	शीर्षक	पृष्ठ सं.
	प्रस्तावना	1
अध्याय 1	मिशन कथन, लक्ष्य तथा उद्देश्य	6
अध्याय 2	कौशल विकास पहल का संचालन	8
अध्याय 3	पहुँच, समानता तथा अभिगम का विस्तार	12
अध्याय 4	गुणवत्ता एवं प्रासंगिकता	19
अध्याय 5	असंगठित क्षेत्र हेतु कौशल विकास	23
अध्याय 6	कौशल घाटे की बेंचमार्किंग एवं 2022 तक लक्ष्य प्राप्त करने की योजना	26
अध्याय 7	कौशल विकास का वित्त प्रबंध	39
अध्याय 8	भविष्य के लिए कार्रवाई करना	40

प्रस्तावना

पी 1 कौशल तथा ज्ञान किसी भी देश के आर्थिक विकास तथा सामाजिक विकास की प्रेरक शक्तियाँ हैं। कौशल के उच्चतर एवं बेहतर स्तर वाले देश कार्यजगत की चुनौतियों तथा अवसरों से अधिक प्रभावी रुप से समायोजन कर लेते हैं।

पी 2 सम्भावित रूप से, कौशल विकास हेतु लक्षित समूहों में, श्रम बल में पहली बार प्रवेश कर रहे (वर्तमान में 12.8 मिलियन प्रति वर्ष), वर्ष 2004-05 में संगठित क्षेत्र में कार्यबल (26.0 मिलियन) तथा असंगठित क्षेत्र में कार्यबल (433 मिलियन) सहित वे सभी, जो श्रम बल में सम्मिलित हैं, समाविष्ट हैं। कौशल विकास कार्यक्रमों की अनुमानित वर्तमान क्षमता केवल 3.1 मिलियन है। भारत ने 2022 तक 500 मिलियन व्यक्तियों को कुशल बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया है।

पी 3 चूंकि 15-59 वर्ष के कार्यकारी आयु समूह का अनुपात निरंतर बढ़ेगा, अत: भारत के पास 'जनसांख्यिकी लाभांश' का लाभ है। उपयुक्त कौशल विकास प्रयासों के माध्यम से जनसांख्यिकी लाभांश का उपयोग करना देश के भीतर न केवल समग्रता एवं उत्पादकता प्राप्त करने हेतु अवसर उपलब्ध कराएगा बल्कि इससे वैश्विक कौशल कमियों में भी कमी होगी। अत: बड़े पैमाने पर कौशल विकास अत्यधिक अत्यावश्यक है।

पी 4 कौशल विकास प्रयास की प्रमुख चुनौती में बहुत बड़ी जनसंख्या को रोजगारपरक बनाने वाले कौशल प्रदान कर तथा 'बेहतर कार्य' प्राप्त करने में उनकी सहायता कर उनकी आवश्यकताओं की भी पूर्ति करना है। असंगठित क्षेत्र में कार्य कर रहे व्यक्तियों का कौशल विकास इस दिशा में मुख्य कार्यनीति है। इससे अन्य व्यक्तियों में श्रम की महत्ता तथा पर्यावरण, सुरक्षा तथा स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों के प्रति अपेक्षाकृत अधिक जागरूकता का संचार होगा।

पी 5 कौशलों के नियोजित विकास का आधार एक ऐसी नीति होनी चाहिए जो कि व्यापक एवं साथ ही राष्ट्रीय स्वरूप की भी हो। खण्डश: दृष्टिकोण से बचने के लिए कौशल विकास नीतियों के मार्गदर्शन तथा समस्त पणधारियों द्वारा समन्वित कार्रवाई के लिए राष्ट्रीय नीति प्रत्युत्तर की आवश्यकता है। यह भी महत्वपूर्ण है कि कौशल विकास की नीतियों को आर्थिक, रोजगार तथा सामाजिक विकास के क्षेत्रों से जोड़ा जाए।

पी 6 देश इतिहास में उस पल उस संतुलन की स्थिति में होता है, जब इसके सभी व्यक्तियों का अपेक्षाकृत उज्ज्वल भविष्य इसकी पहुँच के भीतर होता है। कौशल विकास इस संभावना को वास्तविकता बनाने में सहायक होगा।

कौशल विकास पर राष्ट्रीय नीति का विकास एवं योग प्राथमिकता का विषय है, जिसमें निम्न शामिल हैं :-

(क) समस्त व्यक्तियों तक समतामूलक पहुँच सुनिश्चित करने के लिए विद्यमान प्रणाली की क्षमता एवं सक्षमता को बढ़ाना।

(ख) जीवन पर्यन्त अधिगम का संवर्द्धन करना, विशेषकर उभरती हुई ज्ञान अर्थव्यवस्था की बदलती हुई आवश्यकता के अनुसार गुणवत्ता एवं प्रासंगिकता का अनुरक्षण।

(ग) स्कूली शिक्षा, सरकार के विभिन्न कौशल प्रयासों के मध्य तथा सरकारी एवं निजी क्षेत्र पहल के मध्य प्रभावी रूपांतरण सृजित करना।

(घ) आयोजना, गुणवत्ता आश्वासन हेतु संस्थानों की क्षमता निर्माण, गुणवत्ता आश्वासन तथा पणधारियों को शामिल करना।

(ङ) अनुसंधान विकास गुणवत्ता आश्वासन, परीक्षाओं एवं प्रमाणीकरण, संबंधन एवं प्रत्यायन हेतु संस्थागत तंत्र सृजित करना।

(च) पणधारियों की भागीदारी बढ़ाना, कौशल विकास के वित्त पोषण हेतु पर्याप्त निवेश करना, भौतिक एवं बौद्धिक संसाधनों का सुदृढ़ीकरण करके धारणीयता प्राप्त करना।

भारत में राष्ट्रीय कौशल विकास पहल की संकल्पना

वी 1) **महत्वाकांक्षा का पैमाना :** इस समय भारत में कौशल विकास की क्षमता लगभग 3.1 मिलियन व्यक्ति प्रति वर्ष है। 11वीं पंचवर्षीय योजना उस क्षमता में वार्षिक रूप से 15 मिलियन की वृद्धि की परिकल्पना करती है। भारत के पास 2022 तक 500 मिलियन कुशल कामगारों को तैयार करने का लक्ष्य है। अत: कौशल विकास कार्यक्रमों की क्षमता तथा सक्षमता बढ़ाने की आवश्यकता है।

वी 2) **उच्च व्यापकता :** कौशल विकास पहल व्यापकता का उपयोग करेगी तथा महिला/पुरुष, ग्रामीण/शहरी, संगठित/असंगठित रोजगार तथा परम्परागत/समसायिक कार्यस्थल जैसे विभाजन को कम करेगी।

वी 3) **गत्यात्मक एवं मांग-आधारित प्रणाली आयोजना :** कौशल विकास पहल उन प्रशिक्षित कामगारों की आपूर्ति का समर्थन करती है जो रोजगार एवं प्रौद्योगिकियों की बदलती हुई मांगों के प्रति गत्यात्मक रूप से समायोजनीय है। यह नीति उत्कृष्टता का संवर्द्धन करेगी तथा एक ज्ञानवान अर्थव्यवस्था की आवश्यकताओं को पूर्ण करेगी।

वी 4) **<u>पसंद, प्रतियोगिता तथा जबावदेही</u> :** कौशल विकास पहल निजी अथवा सार्वजनिक वितरण के बीच भेदभाव नहीं करती है तथा परिणामों, उपभोगकर्ताओं की पसंद तथा प्रशिक्षण प्रदाताओं के मध्य प्रतियोगिता एवं उनकी जबावदेही को महत्व देती है।

वी 5) **<u>नीति समन्वय एवं सामंजस्य</u> :** कौशल विकास प्रणाली रोजगार सृजन, आर्थिक विकास एवं सामाजिक विकास प्रक्रियाओं का समर्थन करती है। कौशल विकास नीति व्यापक आर्थिक, श्रम एवं सामाजिक नीतियों एवं कार्यक्रमों का एक अभिन्न अंग होगी। विभिन्न मंत्रालयों, राज्यों, उद्योग तथा अन्य पणधारियों के मध्य बेहतर समन्वय का ढांचा स्थापित किया जाएगा।

(एस) निम्नलिखित प्रचालनात्मक कार्यनीतियों को अपनाया जाएगा:

(एस1) **भविष्यांतर्वेशनः** यदि हम वर्तमान स्थिति से आंरभ करेंगे, तो हमारे बहिर्वेशित होने की संभावना है। भविष्यांतर्वेशन से हम नवीनता ला पाते हैं। अत: नवप्रर्वतन कार्यनीति का एक महत्वपूर्ण तत्व है।

(एस2) **कौशलों की रूपरेखा अनिवार्यता डिप्लोमा व डिग्रियों के समतुल्य प्रणाली उन्मुख होः** राष्ट्रीय व्यावसायिक अर्हता रूपरेखा मुक्त/लोचशील प्रणाली के साथ सृजित की जाएगी जिससे व्यक्ति ज्ञान और कौशल अर्जित कर पायेंगे और उन्हें परीक्षण एवं प्रमाणीकरण के माध्यम से उच्च डिप्लोमों व डिग्रियों में परिवर्तित किया जा सकेगा। एनवीक्यूएफ किसी भी अतंरराष्ट्रीय अर्हता रूपरेखा के साथ तुलनीय मानकों वाले विभिन्न गुणवत्ता आश्वासित ज्ञानार्जन मार्ग उपलब्ध कराएगा। एनवीक्यूएफ, आजीवन ज्ञानार्जन, कौशलों तथा ज्ञान के सतत् उन्नयन को प्रोत्साहित करेगा।

(एस3) **कौशल अनिवार्य रूप से बैंकीय होंः** कौशल प्राप्त करने की प्रक्रिया, विशेषकर निर्धन व जरूरतमंद लोगों के लिए, को बैंकीय बनाया जाएगा। सार्वजनिक निवेश को संस्थागत/बैंक वित्त के साथ अनुपूरित करने का प्रयास किया जाएगा।

(एस4) **सह-सृजित समाधान तथा सहभागिता करनाः** प्रारंभिक बिन्दु के रूप में हमें भारत को एक अत्यंत असममित रूप में स्वीकार करना होगा। सहभागिताओं को चैतन्यता से सरकार, उद्योग, स्थानीय सरकारों, नागरिक सामाजिक सस्थानों तथा सभी संभावित कौशल प्रदाताओं के मध्य प्रोत्साहित किया जाएगा। वहनीयता सुनिश्चित करने के लिए संस्थागत तंत्र और आधारभूत मंचों का सृजन किया जाएगा।

(एस5) **कार्यपरिवर्तनीय वितरण/नवप्रर्वतनः** हाई स्कूल स्तर से ऊपर, कक्षा घंटों के पश्चात, सामान्य कार्यकरण से छेड़छाड़ के बिना कौशल विकास हेतु निजी क्षेत्र द्वारा सार्वजनिक संस्थानों की उपलब्धता का पता लगाया जाएगा। विशिष्ट शैक्षिक संस्थान के लिए स्थानीय प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा आवश्यक विनियमन किया जाएगा।

मुख्य कार्यकरण सिद्धांत

(सी1) **निजी निवेश के लिए सरकारी वित्तीय सहायता अनिवार्य तथा अनुपूरक हो**: केन्द्रीय मंत्रालयों को अनिवार्यतया उन क्षेत्रों पर ध्यान केन्द्रित करना चाहिए जिनमें कौशल विकास में निजी निवेश के उपलब्ध होने या आने की संभावना नहीं है। सरकार उपयोगी सार्वजनिक निजी भागीदारियों पर ध्यान केन्द्रित करेगी।

(सी2) **राज्य मुख्य कारकों के रूप में:** राज्यों के कौशल विकास में मुख्य कारक होने के कारण, कौशल विकास हेतु राज्य स्तरीय कौशल विकास मिशनों के माध्यम से कार्रवाई के लिए मेहराबदार एकीकृत रूपरेखा स्थापित की जाएगी।

(सी3) **निधियों का आबंटन:** भवनों व अन्य अचल आस्तियों के स्थान पर गतिविधियों के लिए अधिक निधियों का आबंटन किया जाएगा। तथापि, मशीनरी व उपकरणों, अध्यापन व शिक्षण सहाय्यों का उन्नयन एक सतत् प्रक्रिया होगी। नवीनतम प्रौद्योगिकी में अवसंरचना सृजन, मांग आधारित नई पहलें, ग्रामीण, सुदूर तथा दुर्गम क्षेत्रों में अवसंरचना सृजन किया जाता रहेगा।

(सी4) **माड्यूलर पाठ्यक्रमों, मुक्त वास्तुकला तथा अल्पावधि पाठ्यक्रमों पर संकेंद्रण:** श्रम बाजार में कौशलों में तेजी से हो रहे परिवर्तनों के साथ अल्पावधि, संबद्ध तथा प्रभावी पाठ्यक्रमों पर ध्यान केन्द्रित किया जाएगा, जिससे उम्मीदवारों को कार्य मिल सकेगा। उन्हें एनवीक्यूएफ के माध्यम से गतिशीलता बनाए रखने तथा फीडबैक के लिए मुक्त रखने के लिए सशक्त बनाया जाएगा।

(सी5) **वितरण से पृथक वित्तपोषण:** आजकल सरकारी निधियां केवल सरकारी वितरण हेतु ही उपलब्ध हैं। राष्ट्रीय कौशल विकास निगम, निजी कौशल विकास पहलों को प्रोत्साहित करेगा। निम्नलिखित वित्तपोषण विकल्पों का पता लगाया जाएगा:

(क) **परिणामों से वित्तपोषण को संबद्ध करना:** आजकल सार्वजनिक एवं निजी प्रशिक्षण को अधिकतर पाठ्यक्रमों की संख्या, विधार्थियों की संख्या, संकाय इत्यादि निविष्टियों पर वित्तपोषित किया जाता है। नियोजन अनुपात तथा परिणामों से संबंद्ध सरकारी वित्त पोषण की ओर अग्रसर होने का प्रयास किया जाएगा।

(ख) **उम्मीदवारों पर निधियों का संकेंद्रण:** विकल्प सृजित करने के लिए संस्थानों की बजाए उम्मीदवारों का निधिकरण करने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। इसकी छात्रवृत्ति, कौशल वाउचर, परिणाम आधारित प्रतिपूर्ति इत्यादि के रूप में रचना की जा सकती है।

(सी 6) कार्यस्थल पर प्रशिक्षण हेतु अवसंरचना सृजित करना तथा शिक्षुता को प्रोत्साहित करना: बड़ी संख्या में औपचारिक शिक्षुओं के लिए अवसंरचना निर्मित करने की आवश्यकता है, जिसमें शिक्षु अधिनियम 1961 में संशोधन भी शामिल है।

(सी 7) प्रशिक्षण संस्थानों पर रेटिंग तथा परिणामों की सूचना का प्रचार: संस्थानों पर मापनयोग्य कसौटी के आसपास सूचना प्रचारित करने के लिए प्रत्यायन तथा अवसंरचना की एक रूपरेखा सृजित की जाएगी। सार्वजनिक एवं निजी संस्थानों की रेटिंग को सार्वजनिक डोमेन पर डाला जाएगा।

(सी 8) प्रभावी आकलन तथा विश्वसनीय प्रमाणीकरण: गुणवत्ता आश्वासित शिक्षण, विश्वसनीय आकलन तथा प्रमाणीकरण का विकास किया जाएगा। इससे नियोक्ता तीव्र गति से रोजगार अभ्यार्थियों के एक प्राक्सी के रुप में इस प्रमाणपत्र का उपयोग कर सकेंगे।

(सी 9) आजीविका मार्गदर्शन केंद्रो के रूप में रोजगार कार्यालयों को पुर्नगठित करना: उम्मीदवारों को रोजगार, शिक्षुता तथा प्रशिक्षण हेतु रोजगार कार्यालयों को आजिविका मार्गदर्शन केन्द्रों के रुप में पुर्नगठित किया जाएगा।

(सी 10) औपचारिक रोजगार का विस्तार: औपचारिक रोजगार न केवल वित्तीय रुप में आकर्षक है बल्कि वित्तीय नवीनताओं के लिए भी अधिक अनुगामी है। इसके लिए ऐसे वर्तमान राज्य तथा केन्द्रीय विधानों की समीक्षा की आवश्यकता है, जो अनौपचारिक तथा असंगठित रोजगार को प्रोत्साहित कर सके।

विचार विमर्श के प्रति दृष्टिकोण

(डी 1) कौशलों का विविधीकरण: व्यापक प्रकार के कौशलों, जिनसे लोग चयन कर सकें, को समझने और प्रस्तुत करने के लिए कौशलों के विस्तार तथा गहराई अर्थात परम्परागत, औद्योगिक-युग तथा औद्योगिक-युगपश्च कौशलों की पहचान करने, श्रेणीबद्ध करने और आकलन करने की आवश्यकता है।

(डी 2) प्रतिभा पूल: अंतिम पैमाना “500 मिलियन” कुशल व्यक्ति है। विभिन्न स्तरों व ग्रेडों के साथ कौशल इन्वेंटरी सृजित की जाएगी।

(डी 3) रोजगार परिणाम: कौशल प्रशिक्षण से इच्छुक व्यक्तियों को रोजगार मिलना सुनिश्चित हो। नियोजन अनुपात की निगरानी की जाएगी और कौशल प्रशिक्षण में रत एजेंसियों द्वारा इसे सार्वजनिक डोमेन पर प्रस्तुत किया जाएगा।

अध्याय - 1

मिशन कथन, लक्ष्य तथा उद्देश्य

1.1 **मिशनः** नीति में निम्नलिखित मिशन वाली राष्ट्रीय कौशल विकास पहल की स्थापना की परिकल्पना की गई है:

राष्ट्रीय कौशल विकास पहल बेहतर रोजगार हेतु पहुँच योग्य बनाने के लिए परिष्कृत कौशलों, ज्ञान तथा राष्ट्रीय एवं अतंरराष्ट्रीय रुप से मान्यता प्राप्त अर्हताओं के माध्यम से सभी व्यक्तियों को शक्तियाँ प्रदान करेगी एवं वैश्विक बाजार में भारत की प्रतिस्पर्धात्मकता सुनिश्चित करेगी।

1.2 **लक्ष्यः** देश में कौशल विकास के लक्ष्य निम्नलिखित के माध्यम से तीव्र और समग्र विकास प्राप्त करने में सहायता करना है:

(क) किसी व्यक्ति की रोजगारपरकता (वेतन/स्व-रोजगार) तथा बदलती हुई प्रौद्योगिकियों एवं श्रम बाजार माँगों के अनुरूप स्वयं को ढालने की योग्यता में वृद्धि करना।

(ख) लोगों की उत्पादकता तथा जीवन-स्तर में सुधार करना।

(ग) देश की प्रतिस्पर्धात्मकता को सुदृढ़ करना।

(घ) कौशल विकास में निवेश आकर्षित करना।

1.3 **राष्ट्रीय कौशल विकास नीति के उद्देश्यः**

राष्ट्रीय कौशल विकास नीति के उद्देश्य निम्न प्रकार हैं:

(क) सभी व्यक्तियों, विशेष रूप से युवाओं, महिलाओं तथा लाभवंचित समूहों के लिए जीवनपर्यन्त कौशल प्राप्त करने हेतु अवसरों का सृजन करना।

(ख) कौशल विकास पहलों को अंगीकार करने में सभी पणधारियों की वचनबद्धता को बढ़ावा देना।

(ग) वर्तमान एवं उभरती हुई बाजार आवश्यकताओं के लिए प्रासंगिक उच्च-गुणवत्ता वाला कुशल कार्यबल विकसित करना।

(घ) पणधारियों की आवश्यकताओं की एक विस्तृत श्रृंखला की विशेषताओं के प्रत्युत्तर में लोचशील वितरण तंत्रों की स्थापना करना।

(ङ) विभिन्न मंत्रालयों, केन्द्र तथा राज्यों एवं सार्वजनिक और निजी प्रदाताओं के मध्य प्रभावी समन्वय सम्भव बनाना।

1.4 राष्ट्रीय कौशल विकास नीति का दायरा:

राष्ट्रीय कौशल विकास नीति के दायरे में निम्न शामिल हैं:

(क) आईटीआई/आईटीसी/व्यावसायिक स्कूल/तकनीकी स्कूल/पोलिटेक्निक/पेशेवर कालेज इत्यादि सहित संस्थान आधारित कौशल विकास

(ख) विभिन्न मंत्रालयों/विभागों द्वारा आयोजित क्षेत्रीय कौशल विकास की शिक्षण पहलें

(ग) उद्यमों द्वारा औपचारिक, अनौपचारिक शिक्षुता एवं अन्य प्रकार का प्रशिक्षण

(घ) स्व-रोजगार/उद्यमीय विकास हेतु प्रशिक्षण

(ङ) वयस्क ज्ञानार्जन, सेवानिवृत्त या सेवानिवृत्त हो रहे कर्मचारियों पुन:प्रशिक्षण तथा जीवनपर्यन्त ज्ञानार्जन

(च) नागरिक सोसाइटी संगठनों द्वारा प्रशिक्षण सहित अनौपचारिक प्रशिक्षण

(छ) ई-लर्निंग/वेब-आधारित ज्ञानार्जन एवं दूरस्थ ज्ञानार्जन।

अध्याय- 2

कौशल विकास पहल का संचालन

2.1 सांस्थानिक व्यवस्थाएं

2.1.1 प्रधानमत्री की अध्यक्षता में कौशल विकास पर प्रधानमंत्री की राष्ट्रीय परिषद् की स्थापना नीतिगत निदेश एवं समीक्षा हेतु एक शीर्षस्थ संस्थान के रुप में की गई है। मानव संसाधन विकास मंत्री, वित्त मंत्री, उद्योग मंत्री, ग्रामीण विकास मंत्री, आवास एवं शहरी निर्धनता उन्मूलन एवं श्रम और रोजगार मंत्री तथा सूक्ष्म, लघु एवं मझौले उद्यम मंत्री इसके सदस्य हैं। योजना आयोग के उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय विनिर्माण प्रतिस्पर्धात्मकता परिषद के अध्यक्ष, राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के अध्यक्ष तथा कौशल विकास के क्षेत्र में 6 विशेषज्ञ अन्य सदस्य हैं। प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव परिषद के सदस्य सचिव के रूप में कार्य करते हैं।

2.1.2 राष्ट्रीय कौशल विकास समन्वय बोर्डः

योजना आयोग के उपाध्यक्ष की अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय कौशल विकास समन्वय बोर्ड की स्थापना की गई है। मानव संसाधन विकास, श्रम और रोजगार, ग्रामीण विकास, आवास एवं शहरी निर्धनता उन्मूलन एवं वित्त मंत्रालयों के सचिव इसके सदस्य हैं। राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के अध्यक्ष/मुख्य कार्यकारी अधिकारी/2 वर्ष की अवधि हेतु बदल-2 कर चार राज्यों के सचिव, तीन प्रतिष्ठित शिक्षाविद/विषय क्षेत्र विशेषज्ञ अन्य सदस्य हैं। योजना आयोग के सचिव बोर्ड के सदस्य सचिव हैं।

2.1.3 राष्ट्रीय कौशल विकास निगमः

राष्ट्रीय कौशल विकास निगम उपयुक्त संचालन ढांचे के साथ कम्पनी अधिनियम 1956 के तहत एक गैर-लाभभोगी कम्पनी है। निगम का प्रमुख कौशल विकास के क्षेत्र में कोई प्रसिद्ध/प्रतिष्ठित पेशेवर होता है। निगम निम्नलिखित कार्यों के साथ क्षेत्रीय कौशल परिषदों का गठन करेगा :

(क) कौशलों का प्रकार, कौशलों का दायरा तथा गहराई जिससे कि व्यक्ति उनमें से चयन कर सकें, का कैटेलॉग तैयार करने सहित कौशल विकास आवश्यकताओं की पहचान।

(ख) क्षेत्र कौशल विकास योजना का विकास तथा कौशल इन्वेंटरी का अनुरक्षण।

(ग) कौशल/क्षमता मानकों एवं अर्हताओं का निर्धारण।

(घ) संबंधन एवं प्रत्यायन प्रक्रिया का मानकीकरण।

(ङ) संबंधन, प्रत्यायन, परीक्षा तथा प्रमाणीकरण में भागीदारी।

(च) प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण की योजना तथा निष्पादन

(छ) उत्कृष्ट अकादमियों को प्रोत्साहन।

(ज) प्रशिक्षण की योजना और वितरण में सहायता हेतु सुगठित क्षेत्र-विशिष्ट श्रम बाजार सूचना प्रणाली (एल एम आई एस) की स्थापना।

2.1.4 राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद (एन सी वी टी) :

कौशल विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए व्यापक अधिदेश एवं प्रतिनिधित्व के साथ एनसीवीटी का सुदृढ़ीकरण एवं पुन: निर्माण किया जाएगा। प्रमुख कार्यों में निम्नलिखित शामिल हैं :

(क) एनवीक्यूएफ का विकास और अनुरक्षण अभिकल्पित करना जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ शामिल है :

(i) क्षमता मानकों, पाठ्यचर्याओं की रचना, ऋण संरचना, संचय एवं प्रमाणीकरण के लिए ढांचे की स्थापना।

(ii) संस्थानों के संबंधन एवं प्रत्यायन हेतु ढांचे की स्थापना।

(iii) गुणवत्ता नियंत्रण तंत्र।

(ख) श्रम बाजार सूचना प्रणाली तथा राष्ट्रीय स्तर पर सूचना का प्रचार और प्रसार;

(ग) उपयुक्त रिपोर्टिंग तथा संचार तंत्र के माध्यम से राष्ट्रीय कौशल विकास प्रयासों की सक्षमता तथा प्रभावोत्पादकता का मूल्यांकन तथा निगरानी।

2.2 कौशल विकास में सामाजिक भागीदार :

सरकार, उद्योग, ट्रेड यूनियनों, स्थानीय सरकारों, नागरिक सामाजिक संस्थानों तथा सभी कौशल प्रदाताओं के मध्य विवेकपूर्ण रूप से भागीदारी को प्रोत्साहित किया जाएगा। इसमें, प्रशिक्षण प्रदाता, पेशेवर समितियां, स्व-सहायता समूह, सहकारी समितियां तथा गैर-सरकारी संगठन/ नागरिक समिति संस्थान भी शामिल हैं। संस्थागत तंत्र के सृजन तथा पणधारियों से नियमित परामर्श से कौशल विकास कार्यनीति की मूलभूत अवधारणा निर्मित होगी।

2.3 पणधारियों की भूमिका व उत्तरदायित्व :

2.3.1 सरकार (केन्द्र/राज्य अथवा स्थानीय स्तर) की भूमिका तथा उत्तरदायित्व

(क) प्राथमिकता तथा नीति आयोजना - सांख्यिकी एकत्रीकरण का निर्धारण।

(ख) पणधारियों के लिए नियामक ढांचा उपलब्ध कराना तथा समर्थकारी वातावरण निर्मित करना।

(ग) वित्तपोषण तंत्र, पारितोषिक तथा प्रोत्साहन ढांचा निर्मित करना।

(घ) सामाजिक भागीदारों की क्षमता का निर्माण।

(ङ) सूचना की निगरानी, मूल्यांकन तथा प्रचार तंत्र की स्थापना।

(च) अंतरराष्ट्रीय सहयोग की सुविधा प्रदान करना।

(छ) अर्हता ढांचे तथा गुणवत्ता आश्वासन तंत्र की स्थापना।

(ज) क्षेत्र विशिष्ट कौशल सैटों की पूर्ति के लिए कार्य योजनाएं तैयार करना।

2.3.2 नियोक्ताओं/उद्योगों की भूमिका तथा उत्तरदायित्व :

(क) कौशल विकास गतिविधियों का संचालन हाथ में लेना।

(ख) क्षमताओं की पहचान और क्षमता मानकों की स्थापना।

(ग) कौशल मांग विश्लेषण तथा पाठ्यचर्या विकास।

(घ) प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण की सुविधा प्रदान करना।

(ङ) प्रशिक्षण, निगरानी और मूल्यांकन प्रदान करना।

(च) परीक्षा में भाग लेना तथा प्रमाणीकरण।

(छ) संबंधन तथा प्रत्यायन प्रक्रिया में भाग लेना।

(ज) कार्य स्थल अनुभवों को आपस में बांटना, मशीनरी व उपकरण।

(झ) वस्तुपरक, वित्तीय तथा मानव संसाधनों के माध्यम से समर्थन।

(ञ) प्रशिक्षित स्नातकों को रोजगार की सुविधा देना।

(ट) अन्य सार्वजनिक तथा निजी एजेंसियों की कौशल विकास पहलों को समर्थन।

(ठ) शिक्षुता योजनाओं का कार्यान्वयन।

(ड) कौशल विकास गतिविधियों में निवेश।

2.3.3 ट्रेड यूनियनों की भूमिका तथा उत्तरदायित्व :

(क) क्षमता मानकों के विकास में सहायता करना।

(ख) पाठ्यचर्या रूपरेखा, परीक्षा एवं प्रमाणीकरण में सहायता।

(ग) प्रशिक्षण, कौशल विकास योजनाओं तथा कामगारों के मध्य गतिविधियों के लाभों के बारे में जागरूकता बढ़ाना।

(घ) कामगारों के मध्य जीवनपर्यन्त शिक्षण तथा कौशल उन्नयन को प्रोत्साहन।

(ङ) कामगारों के कौशल विकास हेतु विशेष कौशल विकास संस्थानों को चलाना।

(च) नियोक्ताओं के मध्य कौशल विकास पर निवेश को प्रोत्साहित करना।

(छ) वीईटी प्रशिक्षित स्नातकों के स्तर में सुधार हेतु सुविधा प्रदान करना।

2.3.4 नागरिक सोसाइटी संगठनों की भूमिका तथा उत्तरदायित्व :

(क) जनता के मध्य कौशल विकास योजनाओं तथा गतिविधियों के बारे में जागरूकता पैदा करना।

(ख) वीईटी प्रशिक्षित स्नातकों के स्तर में सुधार में लिए सुविधा।

(ग) सरकार के कौशल विकास कार्यक्रमों का कार्यान्वयन।

(घ) क्षमता मानकों के विकास में सहायता।

(ङ) पाठ्यचर्या रूपरेखा, परीक्षा तथा प्रमाणीकरण में सहायता।

(च) जनता में जीवनपर्यंत शिक्षण को प्रोत्साहन।

(छ) जनता के मध्य श्रमिक की प्रतिष्ठा को प्रोत्साहित करना।

(ज) सीखने के अनुभवों को अन्यों के साथ बांटना।

अध्याय - 3

पहुँच, समानता तथा अभिगम का विस्तार

3.0 देश में कौशल विकास हेतु वर्तमान क्षमता 3.1 मिलियन है। भारत ने 2022 तक, भारत के लिए चुनौतियों की पूर्ति @75 के लिए 500 मिलियन व्यक्तियों को कौशल प्रदान करने का लक्ष्य निर्धारित किया है।

3.1 पहुँच का विस्तार

कौशल विकास पहल के लिए क्षमता में जबरदस्त विस्तार तथा नवीन वितरण दृष्टिकोण तथा सार्वजनिक-निजी भागीदारियों की आवश्यकता है। उनमें से कुछ नीचे दी गई हैं :

(क) सीमित अवधि में प्रणाली की क्षमता में व्यापक वृद्धि हेतु नवीन दृष्टिकोणों को अपनाया जाएगा।

(ख) कौशल विकास में निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए प्रोत्साहन-तंत्र विकसित किया जाएगा।

(ग) सार्वजनिक प्रशिक्षण संस्थानों के विस्तार, विशेषकर ग्रामीण, सीमान्त, पर्वतीय तथा दुर्गम क्षेत्रों में, जहाँ निजी क्षेत्र निवेश करना मुश्किल समझता है, को प्रोत्साहित किया जाएगा।

(घ) विकेंद्रीकृत वितरण, चल प्रशिक्षण, दूरस्थ-शिक्षा, ई-शिक्षा तथा वेब आधारित शिक्षा नामक नवीन वितरण माडलों का उपयोग किया जाएगा।

(ङ) गाँव तथा ब्लॉक स्तर पर कौशल विकास केन्द्र का संवर्धन, कौशल विकास अवसर प्रदान करने के साथ-साथ स्थानीय श्रम बाजार/रोजगार, व्यवसायिक ज्ञान अवसरों तथा सहायक योजनाओं पर सूचना सहित वन स्टॉप कीयोस्क के रूप में कार्य करने हेतु किया जाएगा।

(च) स्व सहायता समूह, सहकारियों तथा गैर सरकारी संगठनों के सहयोग से स्थानीय स्तर पर कौशल विकास तथा रोजगार सृजन में पंचायत, नगर निगम तथा अन्य स्थानीय निकायों को शामिल किया जाएगा।

(छ) व्यवसायों के क्षेत्र में विस्तार किया जाएगा।

(ज) वर्तमान में शिक्षु प्रशिक्षण योजना के तहत लगभग 23800 प्रतिष्ठान 2.58 लाख प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षण प्रदान कर रहे हैं। अगले पांच वर्षो के दौरान, इसे लगभग एक मिलियन शिक्षुओं वाले लगभग 1 लाख प्रतिष्ठानों तक बढ़ाया जाएगा। विद्यमान शिक्षु अधिनियम, 1961 में वांछनीय लक्ष्य प्राप्त करने हेतु पुन: समीक्षा की जाएगी।

3.2 इक्विटी और पहुंच

(क) उत्तम रोजगार प्राप्त करने और गरीबी से बाहर निकलने के लिए सभी सामाजिक वर्गों, विशेष रूप से महिलाओं और समाज में लाभवंचित लोगों के लिए कौशल विकास के लिए समान पहुंच अनिवार्य है। पहुंच के लिए बाधाएं हटाना और उनकी विशेष आवश्यकताओं को पूरा करना समग्र विकास के लिए मुख्य कारक हैं।

(ख) शिक्षा अहर्ता, परिवहन, वेतन में कमी, भाषा आदि जैसे प्रवेश अवरोधों को दूर किया जाएगा। सभी के लिए कौशल विकास के अवसर में वृद्धि करते वक्त, विभिन्न स्तरों वाले व्यक्तियों को उपयुक्त विकास कार्यक्रम में लगाने के लिए प्रवेश मूल्यांकनकर्त्ताओं को नियुक्त किया जाएगा।

(ग) सहायता योजनाओं सहित कौशल विकास, रोजगार और प्रशिक्षण अवसरों के लाभ के बारे में लक्षित समूहों के बीच जागरूकता उत्पन्न करने के लिए प्रयास को एक बड़ी पहल के साथ जोड़ा जाएगा जिससे वे प्रशिक्षण में भागीदार बन सकें।

(घ) व्यावसायिक कौशलों के अतिरिक्त बुनियादी साक्षरता, गणित कौशल, व्यावसायिक सुरक्षा तथा स्वास्थ्य, स्वास्थ्य विज्ञान, बुनियादी श्रम अधिकार, टीम कार्य तथा विश्वास सृजन प्रशिक्षण सहित मृदु (अथवा जीवन) कौशल के प्रावधान को पाठ्यचर्या का एक अभिन्न अंग बनाया जाएगा। इससे कमजोर समूहों के सशक्तिकरण में भी सहायता मिलेगी।

3.1 महिलाओं के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण

रोजगारपरकता के लिए प्रशिक्षण का उपयोग महिलाओं के रोजगार में वृद्धि करने के लिए परिवर्तन कारक के रूप में किया जाएगा। महिलाएं कौशल, लाभप्रद रोजगार प्राप्त करने, कार्य में बने रहने और उच्च स्तर के रोजगार में आगे बढ़ने और बच्चों के पालन-पोषण में व्यतीत अनुपस्थिति अवधि के बाद श्रम बाजार में वापस लौटने पर अनेक बाधाओं का सामना करती हैं।

(क) महिलाओं को कौशल विकास और रोजगारी तक समान पहुँच प्रदान करने के लिए भेदभाव रहित नीति का कड़ाई से पालन किया जाएगा।

(ख) नीति में 11वीं योजना के अंत तक उनकी प्रतिभागिता बढ़ाकर कम से कम 30% करने का लक्ष्य होगा।

(ग) महिलाओं के लिए छात्रावासों, छात्रवृत्तियों, परिवहन, प्रशिक्षण सामग्री और ऋणों जैसी बाधाओं को दूर करने वाले तथा और अधिक प्रतिभागिता को सुकर बनाने वाले पहले से सक्रिय उपाय तैयार किए जाएंगे और इन्हें बड़े पैमाने पर उपलब्ध कराया जाएगा।

(घ) महिलाओं के व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम का विस्तार किया जाएगा और अधिक वेतन और स्व-रोजगार संभाव्यता वाले कौशलों में विशेष रूप से महिलाओं के लिए प्रशिक्षण सुविधाएं प्रदान करने वाले संस्थागत नेटवर्क का अत्यधिक विकास किया जाएगा।

(ङ) महिलाओं के कौशलों एवं रोजगारपरकता को बढ़ाने के लिए महिलाओं को बड़ी संख्या में नियोजित करने वाले क्षेत्रों की पहचान की जाएगी। इनमें निर्माण, घर आधारित परम्परागत शिल्प अथवा पीस रेट कार्य, वित्तपोषण एवं स्वास्थ्य सेवा तथा कृषि क्षेत्र शामिल हो सकते हैं।

(च) वर्तमान तथा उभरते हुए प्रौद्योगिकीय क्षेत्रों के साथ-साथ गैर-पारम्परिक व्यवसायों में महिलाओं की भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में लैंगिकता स्टीरियो-टाइपिंग को समाप्त किया जाएगा।

3.4 ग्रामीण, सीमावर्ती, पहाड़ी तथा कठिन क्षेत्र और अवसरों में क्षेत्रीय असंतुलन

(क) कौशल विकास के लिए मूलभूत सुविधाएं और कार्यक्रम ग्रामीण और कठिन क्षेत्रों में विशेष रूप से अल्प हैं और इसलिए इन क्षेत्रों में प्रशिक्षण की उपलब्धता की समस्या सबसे अधिक गंभीर है। ग्रामीण परिवारों में वे मुख्य कामगार हैं, क्योंकि उनके पति काम के लिए प्रवास करते हैं; पर ऐसी महिलाएं अकसर केवल परम्परागत तथा कभी-कभी अप्रचलित कौशलों और ज्ञान से लैस होती हैं।

(ख) ग्रामीण क्षेत्रों में कौशल विकास कृषि क्षेत्र में उत्पादकता और कार्य की परिस्थितियों में सुधार करने में योगदान करता है, जबकि इसके साथ-साथ ग्रामीण कामगारों, विशेष रूप से युवा लोगों को कृषि क्षेत्र से बाहर उदीयमान रोजगार अवसर पाने में सहायता करता है।

(ग) ग्रामीण क्षेत्रों में कौशल विकास की पहुंच और गुणवत्ता में सुधार किया जाएगा, जिससे ग्रामीण कामगार प्रौद्योगिकियां प्राप्त करने और इनका उन्नयन करने; मूल्य श्रृंखलाओं तक संबंधों का सुधार करने; कृषि उत्पादन में वृद्धि करने; और बाजार तक पहुंच में विस्तार करने और पूरक आय उत्पन्न करने वाले गैर-कृषि क्रियाकलापों में लगाने के लिए सहायता की जा सके।

(घ) सीमित प्रशिक्षण अवसंरचना के मद्देनजर, स्कूल, समुदाय केंद्र तथा स्थानीय सरकारी भवनों सहित अवसंरचनाओं की श्रृंखला को प्रशिक्षण स्थलों के रूप में प्रयोग किया जाएगा। ग्रामीण विकास तथा स्व-रोजगार प्रशिक्षण संस्थान (आर यू डी एस ई टी आई) नामक उद्यमीय प्रशिक्षण संस्थान का और संवर्धन किया जाएगा। सरकार स्वयं सार्वजनिक संस्थानों

की स्थापना करेगी तथा भूमि एवं वित्तीय सहायता के प्रावधान जैसे उपयुक्त रूप से बनाए गए प्रोत्साहनों के पैकेज के माध्यम से निजी क्षेत्र के प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना का भी संवर्धन करेगी। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गांरटी कार्यक्रम (एन आर ई जी पी) जैसे राष्ट्रीय रोजगार कार्यक्रमों के साथ समाभिरूपता को ग्रामीण क्षेत्रों में कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने के अवसर के रूप में प्रोत्साहित किया जाएगा। परिवर्तित होती मांगों की पूर्ति हेतु प्रशिक्षण सुविधाओं के नियमित उन्नयन की आवश्यकता है।

(ङ) स्थानीय समुदायों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ग्राम अथवा ब्लाक आधारित कौशल विकास केन्दों की स्थापना की जाएगी। जिला कार्यालयों तथा पंचायतों द्वारा सुविधाप्राप्त ये कौशल विकास केंद्र, स्थानीय क्षेत्रों की विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुसार स्थानीय रोजगार अवसरों की पहचान करने तथा पर्याप्त प्रशिक्षण प्रदान करने अथवा आयोजित करने तथा प्रशिक्षण-पश्च सुविधा प्रदान करने में प्रमुख भूमिका निभाएंगे। ये केन्द्र विभिन्न सहयोगी योजनाओं के साथ-साथ प्रशिक्षण और रोजगार अवसरों हेतु सूचना केंद्र के रूप में भी कार्य करेंगे। विशेष रूप से युवाओं को प्रशिक्षण में भागीदारी को अभिप्रेरित करने तथा प्रशिक्षण तक पहुंच में अन्य बाधाओं को हटाने में प्रोत्साहन तंत्रों के सृजन के साथ इन प्रयासों को जोड़ा जाएगा।

(च) सुदूर और कठिन क्षेत्रों तक पहुँचने के लिए विभिन्न चल प्रशिक्षण व्यवस्थाएं की जाएंगी।

(छ) ग्रामीण क्षेत्रों में इन कौशल प्रयासों में स्व रोजगार हेतु कौशल विकास एक महत्वपूर्ण संघटक होगा। बाजार, ऋण तथा उपयुक्त प्रौद्योगिकियों तक पहुँच हेतु परामर्श सहित प्रशिक्षण-पश्च सहायता, स्व रोजगार हेतु कौशल विकास का एक महत्वपूर्ण भाग है।

(ज) लक्षित समूहों, अर्थात साक्षरता, शिक्षा का स्तर, स्थानीय भाषा की विशिष्ट आवश्यकताओं को प्रशिक्षण माड्यूल्स में शामिल किया जाएगा। प्रशिक्षण, घंटों एवं अवधि के लिहाज से विशेषकर महिलाओं को प्रोत्साहित करने के लिए लोचशील होगा।

(झ) सामान्यतया, प्रशिक्षण अवसरों में क्षेत्रीय असंतुलन है, जहां देश के कुछ भागों में कौशल विकास संस्थान बहुत कम हैं। पूरे देश में और अधिक समान अवसर प्रदान करने के लिए, अभाव-ग्रस्त क्षेत्रों में प्रशिक्षण सुविधाओं की स्थापना को बढ़ावा देने हेतु विशेष प्रयासों में तेजी लाई जाएगी।

3.5 लाभवंचित समूह: अनसूचित जातियां, अनुसूचित जनजातियां, अन्य पिछड़े वर्ग

(क) इन समूहों के लिए लागू आरक्षणों का समुचित लैंगिक संघटन के साथ कड़ाई से प्रवर्तन किया जाएगा।

(ख) इन समूहों के लाभ के लिए विद्यमान योजनाओं की समीक्षा की जाएगी, इन्हें सुदृढ़ किया जाएगा और इन्हें और अधिक प्रभावशाली बनाया जाएगा।

(ग) नागरिक समाज संगठनों की योग्यताओं और विशेषज्ञताओं को गतिशील बनाने के प्रयास किए जाएंगे।

(घ) इन समूहों द्वारा पूर्ण और प्रभावशाली प्रतिभागिता तथा कौशल विकास पहलों से वास्तविक लाभ प्राप्त करने के लिए नई नवप्रवर्तनशील योजनाएं और उपाय भी तैयार किए जाएंगे।

3.6 अल्पसंख्यक

(क) अल्पसंख्यक समूहों के लिए विशेष रूप से अल्पसंख्यकों के घनत्व वाले क्षेत्रों (एम सी ए) में कौशल विकास अवसरों का विस्तार किया जाएगा।

(ख) इन समूह को लाभ देने वाली विद्यमान योजनाओं की पुन: समीक्षा की जाएगी, सुदृढ़ीकरण किया जाएगा तथा अधिक प्रभावी बनाया जाएगा।

(ग) सिविल सोसाइटी संगठनों की योग्यताओं तथा सुविज्ञता को संचारित करने के लिए प्रयास किए जाएंगे।

(घ) गैर-औपचारिक कौशल अर्जन एवं स्थांनतरण के प्रतिपादन का पारम्परिक कला एवं शिल्प क्षेत्रों में भी संवर्धन किया जाएगा।

3.7 शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्ति

(क) शारीरिक रूप से अक्षम लोगों के लिए 3% स्थान आरक्षित करने के दिशानिर्देशों के बावजूद कौशल विकास कार्यक्रम में उनकी प्रतिभागिता का वर्तमान स्तर बहुत निम्न है। ये दिशानिर्देश केवल सरकारी क्षेत्र पर लागू होते हैं।

(ख) शारीरिक और मानसिक अपंगताओं की भिन्न मात्राओं वाले लोगों को उपयुक्त समायोजन प्रशिक्षण और कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा जिससे उन्हें आर्थिक मुख्य धारा में सम्मिलित किया जा सके और उन्हें क्रियाशील नागरिक बनाया जा सके।

(ग) इस नीति का लक्ष्य शारीरिक रूप से अक्षम लोगों के लिए सुविधाओं का विस्तार करना और उन्हें उपयुक्त आवास प्रदान करना है जिससे वे उपयुक्त परिवहन और निर्माण डिजाइनों के साथ सुविधाएं प्राप्त कर सकें।

(घ) व्यावसायिक पुनर्वास केन्द्र 11वीं योजना में दुगने किए जाएंगे और बाद की योजनाओं में इनका और अधिक विस्तार किया जाएगा। बेहतर पहुंच और अधिगम के लिए राज्य स्तर पर भी ऐसे ही प्रयास किए जाएंगे।

(ङ) प्रशिक्षण को उपयुक्त रोजगार अवसर प्राप्त करने के प्रयासों के साथ एकीकृत किया जाएगा। शारीरिक रूप से अक्षम लोगों के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण की मांग में वृद्धि करने और इसके साथ ही श्रम बाजार में उन्हें सम्मिलित करने को सुकर बनाने के लिए जनजागरूकता और सामुदायिक प्रतिभागिता के कार्यक्रमों को सुदृढ़ किया जाएगा।

3.8 समय से पहले स्कूल छोड़ने वाले और बाल श्रम

(क) समय से पहले स्कूल छोड़ने वालों में कमी करने के लिए स्कूली शिक्षा को सुदृढ़ किया जाएगा। स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता सम्पूर्ण रुप से कौशल विकास कार्यक्रम के प्रभावीकरण को प्रभावित करेगी। यह युवा व्यक्तियों में रोजगारपरक कौशल प्राप्त करने में ठोस आधार रखेगी तथा उन्हें कार्यकरण के पूरे जीवनकाल में निरन्तर कौशल उन्नयनरत करेगी।

(ख) युवा व्यक्तियों के बीच व्यावसायिक जागरूकता बढ़ाने के लिए स्कूली शिक्षा एक माध्यम के रुप में प्रयोग की जाएगी।

(ग) समय से पहले स्कूल छोड़ने वालों (XII कक्षा समाप्त करने के पूर्व स्कूल छोड़ने वालों), बाल श्रम और स्कूल न जाने वाले युवाओं को कौशल विकास से जुड़ी वैकल्पिक शिक्षा प्रदान करने की आवश्यकता है, जिससे उन्हें आर्थिक और सामाजिक मुख्यधारा में लाया जा सके।

(घ) अल्पावधिक, बाजार उन्मुखी और मांग-आधारित कार्यक्रम ऐसे लचीले शिक्षण ढांचे में प्रदान किए जाएंगे जो लक्षित समूह की विशेषताओं और परिस्थितियों के अनुरूप हो।

(ङ) बहु-कौशल, बहु-प्रवेश और निकास तथा भविष्य में कौशल उन्नयन अवसरों के साथ संबंध ऐसे कार्यक्रमों की विशेषता होगी। मॉड्यूलर रोजगारपरक कौशलों (यथा; अल्पावधि रोजगारपरक कौशल) की योजना का बड़े समूह की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अत्यधिक विस्तार किया जाएगा।

(च) आसान पहुंच को सुकर बनाने के लिए प्रशिक्षण तक पहुँच में औपचारिक शैक्षिक अर्हताओं की समीक्षा की जाएगी।

3.9 आर्थिक रूप से कमजोर: गरीबी रेखा से नीचे के व्यक्ति

(क) निर्धनता के विरुद्ध युद्ध में रोजगारनीयता के लिए कौशल विकास एक महत्वपूर्ण नीति है। तदनुसार निर्धनों को कौशल विकास तक वरीयता और सुगम पहुँच होनी चाहिए।

(ख) नीति का उद्देश्य, विभिन्न स्तरों पर इन आर्थिक अवरोधों के प्रभाव को दूर करने के साथ-साथ विशेष रूप से तैयार की गई योजनाओं और उपायों के माध्यम से शिक्षा तथ कौशल विकास अवसरों तक निर्धनों की पहुँच को सक्रिय रूप से प्रोत्साहित करना होगा। प्रवेश परीक्षाओं हेतु विशेष अध्यापन, गैर-औपचारिक कौशल विकास अवसरों का प्रावधान तथा छात्रवृत्तियों, पुस्तकों तथा उदार ऋण के विस्तारित प्रावधान नामक उपायों को विकसित एवं कार्यान्वित किया जाएगा।

(ग) व्यापक निर्धनता कम करने वाले कार्यक्रमों तथा ऐसे कार्यक्रमों के वर्तमान कौशल विकास संघटक को सुदृढ़ करने में बेहतर एकीकृत कौशल विकास के लिए प्रयास किए जाएंगे।

अध्याय 4

गुणवता एवं प्रासंगिकता

4.0 कौशल विकास की गुणवत्ता एवं प्रासंगिकता भारत की वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता और उत्तम रोजगार तक व्यक्ति की पहुँच में सुधार करने की कुंजी है। वैश्विक अर्थव्यवस्था में उद्यमों को प्रभावी रूप में प्रतियोगिता करने के लिए प्रशिक्षण की गुणवता को वैश्विक मानकों के अनुरूप और राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय बाजार आवश्यकताओं के लिए प्रासंगिक बनाना होगा।

4.0.1 स्वरोजगार के संवर्धन सहित भविष्य रोजगार बाजार के साथ प्रासंगिकता में वृद्धि करने के लिए मृदु कौशल तथा उद्यमीय कौशलों को कौशल विकास का आंतरिक भाग बनाया जाएगा।

4.0.2 देश में जनांकिकी लाभ और विश्व की जनसंख्या की आयु अधिक हो जाने पर विश्व में कौशलों में कमियों की सम्भावना का अभिप्राय यह है कि देश विश्व को कौशलों की आपूर्ति कर सकता है।

4.1 गुणवत्ता आश्वासन पाँच मुख्य कार्यों पर आधारित है:

(क) *अर्हताओं की वैधता,* यह सुनिश्चित करने के लिए कि अर्हताएं बाजार की आवश्यकताओं तथा कार्यस्थल की जरूरतों को प्रतिबिम्बित करती हैं और स्पष्ट आकलन मानकों के साथ सक्षमताओं के रूप में अभिव्यक्त होती हैं;

(ख) *प्रशिक्षण प्रक्रिया की वैधता* यह सुनिश्चित करने के लिए कि पाठयचर्या/मानकों में सुझाए गए समुचित औजारों, तकनीकों, तरीकों तथा सामग्री का संसाधन व्यक्तियों द्वारा उपयोग किया जाता है;

(ग) *शिक्षा-प्राप्तकर्ताओं का गुणवता आश्वासित आकलन* यह सुनिश्चित करने के लिए कि आकलन राष्ट्रीय मानकों (सक्षमताओं) पर आधारित है और इसके लिए वैध और विश्वसनीय पद्धतियों का प्रयोग किया जाता है;

(घ) *प्रशिक्षण प्रदाताओं और प्रशिक्षण संस्थानों का प्रत्यायन* यह सुनिश्चित करने के लिए कि सक्षम व योग्य प्रशिक्षकों द्वारा साधन सम्पन्न तथा प्रबन्ध कुशल संस्थानों में प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है;

(ङ) अर्थव्यवस्था के संगठित और असंगठित दोनों क्षेत्रों में अच्छी प्रकार से अनुसंधानित श्रम बाजार सूचना (एलएमआई) के रुझानों के अनुसार कुशल कामगारों की आपूर्ति को संबद्ध करने के लिए *अनुसंधान एवं सूचना*।

कौशल विकास में गुणवत्ता एवं प्रासंगिकता लागू करने का उद्देश्य, बुनियादी ढांचे में सुधार कर, प्रशिक्षकों की गुणवत्ता में सुधार कर तथा राष्ट्रीय व्यावसायिक अहर्ता ढाँचे का विकास कर कार्यान्वित किया जाएगा।

4.2 बुनियादी अवसरंचना की गुणवत्ताः

(क) ज्ञानार्जन या ज्ञानार्जन के प्रभाव को बढ़ाने के लिए सूचना तथा संचार प्रौद्योगिकी के विस्तृत प्रयोग को प्रोत्साहित किया जाएगा।

(ख) बहु शिफ्टों या अन्यथा में विद्यमान वस्तुपरक आधारभूत ढाँचे का इष्टतम उपयोग सुनिश्चित किया जाएगा।

(ग) उद्योगों से कौशल विकास गतिविधियों को पूरा करने के लिए उनकी अतिरिक्त क्षमता प्रदान करने के लिए अनुरोध किया जाएगा।

(घ) वस्तुपरक आधारभूत ढाँचा, अर्थव्यवस्था के विशेष क्षेत्रों की कौशल आवश्यकता के अनुरूप सृजित, विस्तरित एवं उन्नयित किया जाएगा।

4.3 प्रशिक्षक की गुणवत्ता

(क) भूतपूर्व प्रशिक्षणार्थी, जिन्होंने कार्यस्थल अनुभव प्राप्त कर लिया है और शिल्प कार्य करने वाले, जो विशेषज्ञ शिल्पकार व्यक्ति के रूप में प्रशिक्षित, के रोजगार सहित प्रशिक्षकों को भर्ती करने के नये माध्यमों को भी अपनाया जाएगा।

(ख) नई कौशल विकास योजनाएं तैयार की जांएगी, जिनमें प्रशिक्षु कार्यक्षेत्र में व्यावहारिक कौशल प्राप्त करते हुए संस्थान से सैद्धान्तिक ज्ञान प्राप्त करते हैं।

(ग) मुख्य रूप से रक्षा बल से सेवानिवृत्त कर्मचारियों को प्रशिक्षकों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए पुन: प्रशिक्षित किया जाएगा।

(घ) पारितोषिक तथा आजीविका प्रोन्नयन प्रणालियों सहित पुरस्कार तथा प्रोत्साहन तन्त्रों की पुनरीक्षा की जाएगी और प्रशिक्षकों के स्तर में सुधार हेतु संस्थागत किया जाएगा।

(ङ) कार्यक्रमों के समस्त व्यावसायिक प्रशिक्षकों को सीमित अवधि हेतु मान्य प्रशिक्षक स्तर प्रदान करने की एक प्रणाली विकसित की जाएगी जिससे राष्ट्रीय व्यावसायिक अहर्ता प्राप्त होगी।

(च) प्रशिक्षकों में लैंगिक संतुलन में सुधार हेतु विशेष प्रयास किए जाएंगे।

4.4 राष्ट्रीय व्यावसायिक अर्हताएं ढांचा

कौशल विकास प्रणाली में आवश्यक सुधारों को प्रेरित और प्रोत्साहित करने और अर्हताओं की "राष्ट्रीय रूप से मानकीकृत और स्वीकार्य व अंतरराष्ट्रीय तुलनीयता हेतु एक राष्ट्रीय व्यावसायिक अर्हता ढांचे" की स्थापना की जाएगी। कौशल विकास में शामिल होने वाले विभिन्न मंत्रालयों के अंतर्गत समस्त विद्यमान/संस्थान/परिषद/बोर्ड को राष्ट्रीय व्यावसायिक अहर्ता ढांचे के अनुरूप कार्य करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।

इस प्रणाली में निम्नलिखित विशेषताएं होगी :-

(क) राष्ट्रीय सहमति से सहमत मानकों और मापदण्डों के आधार पर सक्षमता आधारित अर्हताएं और प्रमाणीकरण;

(ख) ज्ञान उपलब्धि तथा अहर्ता हेतु प्रमाणीकरण;

(ग) राष्ट्रीय अर्हताओं के स्तर की श्रृंखला-उत्तरदायित्व, गतिविधियों की जटिलता तथा सक्षमताओं की अंतरणीयता संबंधी मापदण्डों के आधार पर;

(घ) सभी प्रशिक्षण आवश्यकताओं को सम्मिलित करने को आश्वस्त करते समय अर्हताओं की द्विरावृति तथा परस्पर व्यापन को रोकना;

(ङ) माड्यूलर चरित्र, जहां उपलब्धियां छोटे उपायों से प्राप्त की जा सकती हैं और मान्यता योग्य अर्हता प्राप्त करने के लिए संचित की जा सकती है;

(च) गुणवत्ता आश्वासन व्यवस्था, जो कौशलों की सुवाह्यता और श्रम बाजार की सचलता को बढ़ावा देगी;

(छ) सुधरी हुई कौशल मान्यता प्रणाली के माध्यम से जीवनपर्यंत ज्ञानार्जन और पूर्व ज्ञानार्जन को मान्यता चाहे यह औपचारिक, गैर-औपचारिक या अनौपचारिक व्यवस्थाओं से हो;

(ज) खुली एवं लचीली प्रणाली जिससे समर्थ व्यक्ति परीक्षण एवं प्रमाणीकरण के माध्यम से अपने ज्ञान एवं कौशलों को उच्चतर डिप्लोमा तथा डिग्री प्राप्त करने के लिए संचित कर सकेंगे;

(झ) भिन्न-भिन्न ज्ञानार्जन माध्यम प्रदान करना-शैक्षिक और व्यावसायिक- जो औपचारिक और गैर-औपचारिक ज्ञानार्जन, उल्लेखनीय रूप से कार्यस्थल में ज्ञानार्जन को एकीकृत करते हैं और व्यावसायिक से शैक्षिक ज्ञानार्जन तक ऊर्ध्वाधर सचलता की पेशकश करते हैं;

(ञ) व्यक्तियों का उनकी रुचि के प्रशिक्षण और आजीविका के नियोजन में मार्गदर्शन करना;

(ट) उपयुक्त स्तरों पर सामान्य शिक्षा और व्यावसायिक योग्यताओं की तुलनीयता; और

(ठ) संस्थान के संबंधन तथा प्रत्यायन हेतु राष्ट्रीय सहमत ढाँचा।

(ड) एन वी क्यू एफ के भीतर ही बहु-प्रमाणीकरण एजेंसियों / संस्थानों को प्रोत्साहित किया जाएगा।

4.5 श्रम बाजार सूचना प्रणालियां और मानव संसाधन आयोजना तंत्र

(क) कौशल प्रशिक्षण की प्रासंगिकता में सुधार और कौशल बेमेल कम करने के लिए आर्थिक रुझानों एवं श्रम बाजार आवश्यकताओं के विश्वसनीय और वास्तविक मूल्यांकन हेतु श्रम बाजार सूचना प्रणालियों (एल एम आई एस) एवं मानव संसाधन आयोजना (एचआरपी) की आवश्यकता है।

(ख) श्रम बाजार का विश्लेषण करने के लिए क्षेत्र कौशल परिषद (राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के तहत) की सहायता से राष्ट्रीय और राज्य स्तरों पर क्षेत्र विशिष्ट एल एम आईज और स्थानीय स्तरों पर विशिष्ट एल एम आईज की स्थापना की जाएगी।

(ग) विभिन्न अवधियों में भिन्न कौशल स्तरों, आर्थिक क्षेत्रों एवं भौगोलिक क्षेत्र द्वारा कुशल कामगारों की अनुमानित आपूर्ति एवं मांग का अनुमान लगाने के लिए मानव संसाधन आयोजना संबंधी कार्य किए जाएंगे।

(घ) एल एम आई एस एवं एच आर पी कार्यों द्वारा इस प्रकार सृजित सूचना का परितुलन और प्रसार व्यापक रूप से सरकार, नियोक्ताओं, प्रशिक्षण प्रदाताओं, राष्ट्रीय, राज्य एवं स्थानीय स्तरों पर प्रशिक्षुओं एवं संभावित प्रशिक्षुओं को उपयुक्त निर्णय लेने में सक्षम बनाने के लिए किया जाएगा।

(ङ) एनसीवीटी, एसएससीज एवं राज्य सरकारों से प्राप्त आगतों के साथ राष्ट्रीय स्तर पर सूचना के प्रसार हेतु उत्तरदायी होगी।

(च) रोजगार चाहने वालों को परामर्श, मार्गदर्शन एवं नियोजन सेवाएं प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय रोजगार सेवा के तहत रोजगार कार्यालयों का सुदृढ़ीकरण एवं उन्नयन किया जाएगा। वे अभ्यर्थियों को रोजगार, शिक्षुता एवं प्रशिक्षण में भी भेजेंगे। औपचारिक रोजगार का विस्तार करने के लिए प्रयास किए जाएंगे।

अध्याय - 5

असंगठित क्षेत्र हेतु कौशल विकास

5.0 देश के कार्यबल का लगभग 93% भाग असंगठित क्षेत्र में है। यह क्षेत्र कृषि या ग्रामीण क्षेत्रों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसमें सारे आर्थिक क्षेत्र समाहित हैं और शहरी क्षेत्र सम्मिलित हैं। यह देश के सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 60 प्रतिशत योगदान करता है। असंगठित क्षेत्र के कौशल आधार को सुदृढ़ करना उत्पादकता, कार्य परिस्थितियों, श्रम अधिकारों, सामाजिक सुरक्षा और जीवन स्तरों के समग्र मानकों में सुधार करेगा।

5.0.1 एक पृथक संस्थागत तंत्र की खोज की जाएगी जो अन्य बातों के साथ-साथ असंगठित क्षेत्र हेतु कौशल विकास प्रयासों की आयोजना, कार्यान्वयन तथा प्रबोधन करेगा।

5.0.2 अनौपचारिक शिक्षुता एवं ज्ञानार्जन के माध्यम की पहचान की जाएगी तथा क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर गतिशीलता में सहायता देने हेतु एनवीक्यूएफ में शामिल किया जाएगा।

5.1 लक्षित समूह

असंगठित क्षेत्र में लक्षित समूह में ये सम्मिलित हैं : स्वरोजगाररत कामगार, सूक्ष्म उद्यमों में कामगार तथा शिक्षु; अवैतनिक घरेलू कामगार; दिहाड़ी श्रमिक, गृह-आधारित कामगार, भ्रमणशील कामगार और प्रवासी श्रमिक, स्कूल में न पढ़ने वाले युवा और कौशलों की आवश्यकता वाले वयस्क; ग्रामीण क्षेत्रों में किसान और अनेक अन्यों के साथ ग्रामीण क्षेत्रों में कारीगर। कौशल विकास में भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए शैक्षिक अहर्ता, परिवहन, वेतन में कटौती, भाषा की समस्या इत्यादि जैसे प्रवेश अवरोधों का उपयुक्त रुप से निवारण किया जाएगा।

5.2 प्रशिक्षण प्रदाता

(क) स्कूल तथा सार्वजनिक/निजी प्रशिक्षण संस्थानों/सिविल सोसाइटी संगठनों/गैर सरकारी संगठनों आदि सहित विभिन्न अवसरों/संस्थानों को असंगठित क्षेत्र में कौशल विकास कार्यक्रम आयोजित करने हेतु प्रोत्साहित किया जाएगा।

(ख) ग्रामीण व दूरस्थ क्षेत्रों, जहां प्रशिक्षण अवसंरचना अत्यधिक सीमित है, में चल-प्रशिक्षण वैनों को भी तैनात किया जाएगा।

(ग) कौशल विकास केन्द्र विशेष रुप से सेवाओं तथा असंगठित क्षेत्र को सहायता देने हेतु कौशल विकास कार्यक्रम आयोजित करेंगे।

(घ) सार्वजनिक प्रशिक्षण संस्थानों को ऐसे कार्यक्रम बनाने और इन्हें प्रदान करने हेतु और अधिक प्रबंधकीय और शैक्षिक स्वायत्तता दी जाएगी, जो स्थानीय अर्थव्यवस्था और विशिष्ट लक्ष्य समूहों की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं।

(ङ) अंशकालिक/पूर्णकालिक ऑन/ऑफ साइट प्रशिक्षण जैसे लक्ष्य समूहों की आवश्यकता के अनुरूप होने वाली लचीली सुपुर्दगी व्यवस्थाओं और प्रतिरूपों को अपनाया जाएगा।

(च) प्रशिक्षण भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए मुख्यतया अल्पावधिक होगा।

(छ) गैर-औपचारिक और अनौपचारिक व्यवस्थाओं में अर्जित कौशलों के परीक्षण और सत्यापन के लिए व्यवस्थाएं की जाएंगी। ये प्रमाणपत्र एनवीक्यूएफ में एकीकृत किए जाएंगे।

5.3 अनौपचारिक शिक्षुता

(क) कौशल विकास कार्यक्रम विद्यमान/पारम्परिक कौशलों तथा ज्ञान में तैयार किए जाएंगे। आधुनिक कौशल क्षेत्रों में उनका उन्नयन करने हेतु तंत्र का विकास किया जाएगा।

(ख) स्थानीय प्रशिक्षकों के कौशलों का आधुनिक तकनीकों, प्रौद्योगिकी और अध्यापन में उन्नयन किया जाएगा। उन्हें प्रशिक्षित किया जाएगा और निपुण शिल्पकार के रूप में विकसित किया जाएगा। इन व्यवस्थाओं को औपचारिक प्रशिक्षण संस्थानों से संबद्ध करने के लिए अवसर विशेषज्ञता, अध्यापन, उपकरण और उपस्कर और सहायता उपलब्ध कराने के लिए प्रदान किए जाएंगे।

(ग) दोहरे- प्रकार की शिक्षुता को बढावा दिया जाएगा।

(घ) शिक्षुओं के लिए सामाजिक संरक्षण योजनाएं तैयार की जाएंगी। बाल श्रम समाप्त करने, लड़कियों, अपंग व्यक्तियों और अन्य कमजोर समूहों की पहुंच में सुधार करने के लिए विशेष प्रयास किए जाएंगे।

5.4 साक्षरता और मृदु कौशल

असंगठित क्षेत्र के लिए कौशल विकास पहलों में साक्षरता और मूलभूत शिक्षा और मृदु कौशल पर एक निश्चित घटक सम्मिलित होगा।

5.5 स्व-रोजगार के लिए कौशल विकास

(क) असंगठित क्षेत्र के लिए उद्यमीयता कौशल विकास को प्राथमिकता दी जाएगी।

(ख) उद्यमीयता विकास, प्रौद्योगिकी उद्‌भवन केन्द्रों और ऐसी अन्य संस्थागत व्यवस्थाओं का असंगठित क्षेत्र के कामगारों द्वारा उद्यमीयता को सफल रूप से अपनाने में सहायता करने के लिए उपयोग किया जाएगा।

5.6 जीवनपर्यंत ज्ञानार्जन और पूर्व ज्ञानार्जन को मान्यता

(क) सक्षमता मानक और प्रमाणन प्रणालियों का असंगठित क्षेत्र के कार्य के लिए विकास किया जाएगा और राष्ट्रीय परीक्षण और प्रमाणीकरण प्रणाली में सम्मिलित किया जाएगा।

(ख) व्यावसायिक परामर्श और आजीविका मार्गदर्शन हेतु प्रणालियों का विकास किया जाएगा।

(ग) रोजगार रुझानों तथ प्रशिक्षण अवसरों से संबंधित सूचना भी युवाओं और कामगारों को प्रदान की जाएगी जिससे वे अपने कौशल और ज्ञान प्राप्त कर सकें और इनका निरन्तर उन्नयन कर सकें।

5.7 सफल मॉडलों की अनुकृति

भारत और विश्व में विभिन्न सफल मॉडल आजमाए गए हैं। असंगठित क्षेत्र के लिए कौशल विकास कार्यनीतियां और कार्यक्रम तैयार करने में सफल मॉडलों का अध्ययन किया जाएगा और स्थानीय परिस्थिति के अनुकूल लागू किया जाएगा।

अध्याय 6

कौशल कमी की बेंचमार्किंग करना एवं वर्ष 2022 तक लक्ष्य प्राप्त करने की योजना

6.0 वर्ष 2007-08 के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार, 2026 में भारत की 64.8% जनसंख्या 15-64 वर्ष की कार्यशील आयु में होगी, जोकि वर्ष 2026 में 62.9% है। अन्य आकलन भी वर्ष 2015 तक चीन के 600 मिलियन व्यक्तियों की तुलना में युवा भारत के 800 मिलियन व्यक्तियों के उत्पादक आयु समूह में आने का संकेत करते हैं।

6.0.1 भारतीय उद्योग परिसंघ तथा बोस्टन परामर्श समूह (सी आई आई एवं बी सी जी) द्वारा किए गए अध्ययन के अनुसार भारत में कार्यशील आयु समूह (15-59 वर्ष) के अनुकूल जनसांख्यिकी बदलाव के साथ 1.14 बिलियन का बड़ा जनसंख्या आधार है, जबकि अगले पांच वर्षों में समग्र जनसंख्या के 1.4% से बढ़ने का अनुमान है, कार्यशील आयु के 2.15% से बढ़ने का अनुमान है। यदि वर्तमान रूझान जारी रहा, तो वर्ष 2007-12 की अवधि के दौरान 109 मिलियन व्यक्ति कार्यशील आयु प्राप्त कर लेंगे। इस प्रकार कार्यबल में शुद्ध वृद्धि के बढ़कर 89 मिलियन हो जाने का अनुमान है जिसमें से 13 मिलियन के स्नातक/स्नातकोत्तर होने तथा लगभग 57 मिलियन समय से पहले स्कूल छोड़ कर जाने वालों अथवा निरक्षरों के होने की संभावना है। वर्द्धमान मांग का बड़ा हिस्सा कुशल श्रमिकों हेतु होने की संभावना है- 2012 तक स्नातकों एवं व्यावसायिक रूप से प्रशिक्षित व्यक्तियों के वर्द्धमान मांग के 23% होने का अनुमान है। अध्ययन में आगे यह अनुमान लगाया गया है कि भारत में 2012 तक 5.25 मिलियन नियोजनीय स्नातकों तथा व्यावसायिक रूप से प्रशिक्षित कार्यबल की कमी बढ़ने की संभावना है।

6.0.2 वाणिज्य एवं उद्योग के पी एच डी चैम्बर हेतु बोस्टन परामर्शदायी समूह द्वारा किए गए एक अन्य अध्ययन में यह अनुमान लगाया गया है कि 2020 तक विश्व के पास 47 मिलियन कार्यशील व्यक्तियों की कमी होगी, परंतु भारत के पास 56 मिलियन व्यक्तियों का अधिशेष होगा। जनसांख्यिकी लाभांश के लाभ लेने के लिए भारत को विश्व भर में कौशल प्रतिभा की आवश्यकता को पूर्ण करने के लिए इस जनशक्ति को सुसज्जित करना होगा।

6.1 सी आई आई ने निम्न राज्यों में अर्थव्यवस्था के चुनिंदा क्षेत्रों में अध्ययन किए हैं :-

पंजाब - कपड़ा, आटो/आटो घटक, हल्की इंजीनियरी, खाद्य प्रसंस्करण, अचल सम्पदा एवं निर्माण, खुदरा एवं स्थान आधारित मनोरंजन।

तमिलनाडु - कपड़ा, निर्माण, आटो/आटो घटक, हल्की इंजीनियरी, आई टी/आई टी ई एस, चमड़ा।

आन्ध्र प्रदेश - निर्माण, कपड़ा, पर्यटन, स्वास्थ्य देखभाल, इंजीनियरी, आई टी/आई टी ई एस, फार्मा, बायोटेक, कागज, खनिज।

जम्मू व कश्मीर - हस्तशिल्प, आतिथ्य, कृषि-प्रसंस्करण, निर्माण, आई टी ई एस, मरम्मत सेवा।

उपर्युक्त अध्ययन के आधार पर सी आई आई ने 2015 तक विभिन्न स्तरों पर कुशल कामगारों की निम्न आवश्यकता का अनुमान लगाया है।

क्र. सं.	क्षेत्र	मांग (मिलियन में)	कौशल स्तर ब्योरा
1	आटो	2-2.5	विशिष्ट कौशल - 5% कौशल श्रेणी स्तर II - 25% कौशल श्रेणी स्तर I - 30%
2	निर्माण	15	न्यूनतम शिक्षा कौशलयोग्य - 40% विशिष्ट कौशल - 2% कौशल श्रेणी स्तर II - 11% कौशल श्रेणी स्तर I - 12% न्यूनतम शिक्षा कौशलयोग्य - 75%
3	खुदरा	4-5	विशिष्ट कौशल - 6-8% कौशल श्रेणी स्तर II - 32-43% कौशल श्रेणी स्तर I - 45-50% न्यूनतम शिक्षा कौशलयोग्य -10-15%
4	स्वास्थ्य देखभाल	4-4.5	विशिष्ट कौशल - 10% कौशल श्रेणी स्तर II - 40% कौशल श्रेणी स्तर I - 16% न्यूनतम शिक्षा कौशलयोग्य - 34%
5	बैंक एवं वित्तीय सेवाएं	4.5-5	विशिष्ट कौशल - 5% कौशल श्रेणी स्तर II - 15% कौशल श्रेणी स्तर I - 65% न्यूनतम शिक्षा कौशलयोग्य - 15%
6	सृजनात्मक उद्योग	0.5-0.8	विशिष्ट कौशल - 5% कौशल श्रेणी स्तर II - 20% कौशल श्रेणी स्तर I - 65% न्यूनतम शिक्षा कौशलयोग्य - 10%
7	लोजिस्टिक्स	ड्राइवर्स : 51 मिलियन	वेयरहाऊस प्रबंधक : 8000
		योग	**81-83.8 मिलियन**

6.2 सी आई आई ने आगे 2022 तक वर्द्धमान मानवीय संसाधन आवश्यकता का अनुमान लगाया है।

क्षेत्र	वर्द्धमान मानवीय संसाधन आवश्यकता
खान एवं खनिज	1,754,881
निर्माण	55,199,568
इंजीनियरी	1,813,790
बैंक एवं बीमा	3,947,139
दवाइयां एवं फार्मा	1,383,721
बायोटेक	1,209,489
स्वास्थ्य देखभाल	20,684,530
कपड़ा	86,545,390
आई टी एवं आई टी ई एस	14,806,299
पर्यटन	12,478,386
कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण	169,782
कागज	57,976
रसायन एवं खाद	1,391,948
योग	**201,442,899**

इस प्रकार 2022 तक कुशल कार्यबल की कुल आवश्यकता लगभग 300 मिलियन होगी।

6.3 विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के तहत कौशल विकास एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम

क्र. सं.	मंत्रालय / विभाग	योजनाएं/कार्यक्रम /व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम हेतु प्रावधान वाले संस्थान	लक्ष्य समूह	प्रशिक्षण की अवधि (दीर्घकालिक / अल्पकालिक
1	*कृषि*	कृषि संबंधी विस्तार में प्रशिक्षण (21 प्रशिक्षण केन्द्र), कृषि उपकरणों एवं मशीनरी के प्रयोग में प्रशिक्षण, मृदा संरक्षण प्रशिक्षण केन्द्र, एलएफक्यूसी एवं टीआई, एनपीपीटीआई, कोआपरेटिव शिक्षा एवं प्रशिक्षण।	कृषिगत संस्थानों तथा समर्थन सेवाओं में लगे व्यक्ति, कोआपरेटिव एवं फार्मर्स के सदस्य। केवीके के तहत 550/589 जिले शामिल हैं।	अल्पकालिक पाठ्यक्रम
		विश्वविद्यालय स्ट्रीम के तहत अनेक स्नातक पूर्व, स्नातकोत्तर एवं पीएचडी पाठ्यक्रम चलाए जाते हैं (डीएआरई)।	शिक्षा के विश्वविद्यालय स्ट्रीम के तहत उसी प्रकार की अर्हताओं वाले विद्यार्थी।	स्नातक पूर्व पाठ्यक्रम - 4 वर्ष, स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम - 2 वर्ष एवं पीएचडी उसी प्रकार।
		एक केन्द्रीय कृषि विश्व विद्यालय, 31 राज्य कृषि विश्वविद्यालय (एसएयूएस) तथा मानित विश्वविद्यालय की स्थिति वाले भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के चार राष्ट्रीय संस्थान।	उसी प्रकार की अर्हताओं वाले विद्यार्थी।	उसी प्रकार।
		आईसीएआर भी नए व उभरते हुए क्षेत्रों में किसी भी राज्य कृषि विश्वविद्यालय अथवा आईसीएआर संस्थानों में आवश्यकता आधारित प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाता है।	वैयक्तिक वैज्ञानिक अथवा वैज्ञानिकों का समूह।	एक सप्ताह से 3 माह (अथवा और अधिक अवधि के यथानिर्धारित)।
		सीआईएफएनईटी - नियमित पाठ्यक्रम एवं विशेष प्रशिक्षण पाठ्यक्रम।	10वीं कक्षा के विद्यार्थी	6-18 माह
		सीआईएफएनईटी - पुनश्चर्या पाठ्यक्रम	व्याख्याता / सेवा-कालीन	4 सप्ताह
2	*खाद्य प्रसंस्करण उद्योग*	वर्ष 1992-93 से 2000-01 के दौरान 326 खाद्य प्रसंस्करण एवं प्रशिक्षण केन्द्रों (एफपीटीसीज) की स्थापना हेतु एनजीओज को अनुदान प्रदान किया गया।	महिलाओं, अ.जा., अ.ज.जा. तथा समाज के अन्य कमजोर तबकों को अहमियत देते हुए ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले व्यक्ति।	

		केन्द्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान, धान प्रसंस्करण अनुसंधान केन्द्र, पीएचटीसी, उद्यमीय विकास कार्यक्रम परिषद् (ईजीपी) जैसे संस्थान भी प्रशिक्षण पाठ्यक्रम चला रहे हैं।	मुख्य रूप से खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में लगे व्यक्ति।	अल्पकालिक
		ग्रामीण क्षेत्रों में व्यक्ति शक्ति विकास (एफबीटीसी योजना)	मुक्त	अल्पकालिक
		उद्यमीयता विकास कार्यक्रम	मुक्त	अल्पकालिक
		खाद्य प्रसंस्करण, परीक्षण, प्रशिक्षण, गुणवत्ता प्रबंधन आदि में मानवीय संसाधनों के विकास हेतु कार्यक्रम	प्रबंधक, तकनीशियन / प्रौद्योगिकीविद्य एवं उद्यमी बनने की चाहत रखने वाले अभ्यर्थी	एआईसीटीई अनुमोदित डिप्लोमा / डिग्री पाठ्यक्रम अवधि उसी प्रकार (दीर्घकालिक)
3.	*स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण*	बहुद्देशीय स्वास्थ्य कामगारों का बुनियादी प्रशिक्षण (महिला एवं पुरुष) • *478 एनएनएम / एमपीडब्ल्यू (एफ) प्रशिक्षण केन्द्र* • *28 एच एफ डब्ल्यूटीसी एवं 30 बुनियादी एमपीडब्ल्यूए (एम) विद्यालय*	- न्यूनतम 10वीं कक्षा उत्तीर्ण वाले शिक्षित युवा	12 से 18 माह
		42 प्रशिक्षण केन्द्रों में महिला स्वास्थ्य सहायक का पदोन्नति प्रशिक्षण। सफदरजंग अस्पताल, सेंट जॉन एंबुलेंस, एनटीसीपी, एनपीसीबी, एनएमएचपी, एनएसीपी, आईएनसी, सीबीएचआई, सीएलटीआरआई, पीडब्ल्यूटीआरसी, ईसीएच इत्यादि द्वारा भी प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है।	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण कार्यक्रम में कार्य कर रहे व्यक्ति	अल्पावधि

4.	*भारी उद्योग एवं सार्वजनिक उद्यम*	सीपीएसईज (पूर्व में एनआरएफ) के यौक्तिकृत कामगारों को पुन: प्रशिक्षण तथा पुन: नियोजन, परामर्श।	सीपीएससीज से छंटनी किए गए अथवा अधिशेष करार दिए गए व जिन्होंने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के लिए विकल्प दिया है, वे कामगार।	अल्पावधि पाठ्यक्रम
5.	*मानव संसाधन विकास*	माध्यमिक शिक्षा का व्यावसायीकरण (6800 विद्यालय शामिल)	10वीं कक्षा पास विद्यार्थी	2 वर्ष
		पोलिटेक्नीक्स (1244) + फार्मेसी में डिप्लोमा हेतु संस्थान (415), होटल प्रबंधन (63), वास्तुकला (25)	10वीं पास	3 वर्षीय डिप्लोमा
		सामुदायिक पोलिटेक्निक योजना (675 सीपीज)	ग्रामीण तथा शहरी दोनों क्षेत्रों में समाज के निर्धन वर्ग	(तीन से छह महीने)
		जनशिक्षण संस्थान (गैर सरकारी संगठनों द्वारा 250 से अधिक पाठ्यक्रमों वाले 157 व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र	वयस्कों के लाभवंचित समूह। नव-शिक्षित / अर्ध-शिक्षित, अ.जा. तथा अ.ज.जा., महिलाएं / लड़कियां, शोषित, विस्थापित, झोपड़पट्टी / पटरी में रहने वाले तथा कार्यरत बच्चे	आवश्यकता आधारित (1-4 सप्ताह)
		दूरस्थ शिक्षा तथा वेब-आधारित शिक्षा (एनपीटीआईएल) के लिए सहायता	देश में इंजीनियरी तथा भौतिक विज्ञान के अवर स्नातक / स्नातकोत्तर ; भारत में विज्ञान तथा इंजिनियरी विश्वविद्यालयों के समस्त अध्यापक / संकाय	(पाठ्यचर्या सामग्री का रूपांकन - समयबद्ध परियोजना)
		राष्ट्रीय मुक्त शिक्षा संस्थान - दूरस्थ व्यावसायिक शिक्षा कार्यक्रम {प्रत्यायित व्यावसायिक संस्थानों के माध्यम से व्यावहारिक प्रशिक्षण (एवीआईज)}	5वीं, सातवीं, आठवीं तथा 10वीं पास स्कूल छोड़ने वाले	6 माह से 2 वर्ष
		+2 व्यावसायिक धारा के विद्यार्थियों के लिए शिक्षुता प्रशिक्षण	+2 व्यावसायिक धारा से पास होने वाले विद्यार्थी	एक वर्ष
		भूकंप इंजीनियरी शिक्षा पर राष्ट्रीय कार्यक्रम (एनपीईईई)	मान्यताप्राप्त इंजीनियरी कालेज / पोलिटेक्निक तथा संबंधित शैक्षिक डिग्री अथवा डिप्लोमा कार्यक्रम के साथ वास्तुकला विद्यालय	अल्पावधि क्रैश कार्यक्रमों तथा दीर्घावधि कार्यक्रमों के माध्यम से संकाय विकास

6.	*सूचना प्रौद्योगिकी*	डीओईएसीसी - 'ओ' लेवल सीईडीटीआई	10+2 पास विद्यार्थी अथवा कार्यरत व्यक्ति यह इलेक्ट्रॉनिक्स, दूरसंचार, आईटी, प्रोसेस कंट्रोल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन में पाठ्यक्रम आयोजित करता है।	परीक्षा पास करने के लिए लोचशील अवधि अल्पावधि पाठ्यक्रम
7	*श्रम एवं रोजगार (डीजीईटी)*	शिल्पकार प्रशिक्षण योजना (सीटीएस) (6834 आईटीआई / आईटीसीज)	8वीं, 10वीं, 12वीं पास स्कूल छोड़ने वाले	6 माह से 3 वर्ष
		शिक्षुता प्रशिक्षण योजना (एटीएस) (23,800 प्रतिष्ठान)	8वीं, 10वीं, 12वीं पास स्कूल छोड़ने वाले अथवा राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाणपत्रधारी	6 माह से 4 वर्ष
		माड्यूलर रोजगारपरक कौशल (एमईएस)	स्कूल छोड़ देने वाले तथा असंगठित क्षेत्र के कामगार	अल्पावधि (60 घंटे से 1000 घंटे)
		शिल्प अनुदेशक प्रशिक्षण योजना (सीआईटीएस) (6 केन्द्र)	औ.प्र.स. / औ.प्र.के. के अनुदेशक	1 वर्ष
		उच्च व्यावसायिक प्रशिक्षण योजना तथा उच्च प्रौद्योगिकी प्रशिक्षण योजना (65 केन्द्र)	औद्योगिक कामगार / तकनीशियन	अल्पावधि पाठ्यक्रम
		पर्यवेक्षी प्रशिक्षण (2 संस्थान)	उद्योग के पर्यवेक्षक	दीर्घावधि एवं अल्पावधि
		महिला प्रशिक्षण संस्थान (11 संस्थान)	महिलाएं (स्कूल छोड़ने वाली, अनुदेशक तथा अन्य)	दीर्घावधि एवं अल्पावधि
		केन्द्रीय कर्मचारी प्रशिक्षण तथा अनुसंधान संस्थान	प्रशिक्षण कार्यपालक तथा प्रधानाचार्य	अल्पावधि
		आदर्श प्रशिक्षण संस्थान तथा आदर्श औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान	8वीं, 10वीं तथा 12वीं पास स्कूल छोड़ने वाले	1 से 3 वर्ष

8.	*ग्रामीण विकास*	राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान (एनआईआरडी) लगभग 150 कार्यक्रमों का आयोजन करता है।	ग्रामीण विकास में कार्यरत प्रबंधक	अल्पावधि पाठ्यक्रम
		स्वर्ण जयंती ग्राम स्व रोजगार योजना (एसजीएसवाई)	ग्रामीण निर्धनों में कमजोर तबकों पर ध्यान केन्द्रित है। कुल स्वरोजगारियों में से एक वर्ष के दौरान अ.जा./अ.ज.जा. के न्यूनतम 50%, 20% महिलाएं तथा 3% विकलांग होंगे।	मांग आधारित अल्पावधि
		आर यू डी एस ई टी आई एस लगभग प्रतिवर्ष 1.25 लाख को प्रशिक्षित करता है।		अल्पावधि
		बी पी एल का कौशल विकास @50,000 प्रतिवर्ष		अल्पावधि
9	*एम एस एम ई {लघु उद्योग विकास संगठन (एसआईडीओ)}*	उद्यमीयता विकास कार्यक्रम, कौशल विकास कार्यक्रम (एसडीपी), प्रबंधन विकास कार्यक्रम □ इसके 72 संस्थान / निकाय हैं • एसएसएसआई -30 • बीआर. एसएसएसआई - 28 • आरटीसी -4 • टूल रूम्स -2 • पीपीडीसीज -2	• कामगार • शिक्षित बेरोजगार युवा • उद्यमी	अल्पावधि व दीर्घावधि दोनों
10	*एम एस एम ई मंत्रालय के अंतर्गत खादी व ग्रामोद्योग आयोग*	51 प्रशिक्षण केन्द्र 35 प्रकार के कार्यक्रम चला रहे हैं।	ग्रामीण बेरोजगार युवा, कार्यरत कारीगर / पर्यवेक्षक जो खादी व ग्रामोद्योग में कार्य करते हैं; संभावित उद्यमी, खादी व ग्रामोद्योग गतिविधियों को चलाने के इच्छुकों के लिए विभिन्न सरकारी योजनाओं के लाभभोगी।	2 माह से 12 माह

11	*सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता*	राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान, राष्ट्रीय विकलांग चिकित्सा संबंधी संस्थान, शारीरिक विकलांग संस्थान, राष्ट्रीय श्रव्य विकलांग संस्थान, राष्ट्रीय विकलांग वित्त विकास निगम, झाड़ूबरदारों तथा उनके आश्रितों की मुक्ति एवं पुनर्वास की राष्ट्रीय योजना, राष्ट्रीय अ.जा. तथा अ.ज.जा. वित्त एवं विकास निगम, भारतीय पुनर्वास परिषद्	समाज के लाभवंचित तथा हाशिए पर पड़े व्यक्ति जैसे, अ.जा., अल्पसंख्यक, पिछड़ा वर्ग, विकलांग, वृद्ध, स्ट्रीट चिल्ड्रन तथा ड्रग्स दुरुपयोग के शिकार इत्यादि	➢ छह माह तक की अवधि का अल्पावधि प्रशिक्षण ➢ एक सप्ताह तक की अवधि के पूर्वाभिमुखीकरण कार्यक्रम
12	*वस्त्र*	विकेंद्रीकृत प्रशिक्षण कार्यक्रम, 24 बुनकर सेवा केन्द्र, सहकारिता प्रशिक्षण, 13 पावरलूम केन्द्र, भारतीय पटसन उद्योग अनुसंधान एसोसिएशन, केन्द्रीय ऊन विकास बोर्ड, केन्द्रीय रेशम बोर्ड, विकलांगों हेतु प्रशिक्षण केन्द्र, पूर्वोत्तर हस्तशिल्प तथा हथकरघा विकास निगम परिधान निर्यात संवर्धन परिषद् (एईपीसी)	वस्त्र उद्योग में कामगारों का कौशल उन्नयन वस्त्र उद्योग में कामगार	➢ मुख्यता अल्पावधि (15 दिन से 3 माह) ➢ हस्तशिल्प के अंतर्गत कुछ पाठ्यक्रम एक वर्षीय अवधि के। 3 माह से 1 वर्ष
13	*पर्यटन*	राज्य सरकारों के अंतर्गत 15 फूड शिल्प संस्थान	10वीं पास	6 माह- 1 वर्ष
14	*जनजातीय मामले*	जनजातीय क्षेत्रों में व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र (वीटीसी), राज्य/संघशासित प्रदेश / एन जी ओ को वीटीज स्थापित करने के लिए 100% केन्द्रीय सहायता)	बेरोजगार जनजातीय युवा (प्रत्येक व्यक्ति को 2 व्यवसायों में प्रशिक्षण दिया जाता है)	वी टी सी में छह माह तथा मास्टर शिल्पकार के साथ 6 माह
15	*शहरी विकास तथा गरीबी उपशमन*	स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना (एस जे एस आर वाई) के अंतर्गत शहरी स्व-रोजगार कार्यक्रम	शहरी बेरोजगार अथवा गरीबी रेखा से नीचे अल्परोजगार में लगे निर्धन	अल्पावधि (2-6 माह) न्यूनतम 300 घंटों का
16	*शहरी विकास मंत्रालय तथा योजना आयोग के अंतर्गत हुडको तथा निर्माण क्षेत्र में अन्य*	640 भवन केन्द्र (हुडको) कम्पनी संचालित स्कूल (एनबीसीसी, एचसीसी, एल एंड टी, ईसीसी इत्यादि) तथा एसोसिएशनें। निर्माण उद्योग विकास परिषद् (सी आई डी सी) एवं अन्य	निर्माण उद्योग में लगे व्यक्ति V से XII कक्षा की अर्हता वाले कामगार एवं पर्यवेक्षक	अल्पावधि पाठ्यक्रम अल्पावधि पाठ्यक्रम 1 माह से 6 माह

17	*महिला एवं शिशु विकास*	महिलाओं हेतु प्रशिक्षण एवं रोजगार कार्यक्रम को समर्थन (एस टी ई पी) स्वालम्बन (पूर्व में नोराड) घरेलू पैमाने पर फल एवं सब्जियों के परिरक्षण {कम्यूनिटी फूड एंड न्यूट्रीशन एक्सटेंशन यूनिट्स (सीएफएनईयूज)} में प्रशिक्षण केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड (स्वैच्छिक संगठनों द्वारा कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं।) इगनो के सहयोग से महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम ("स्व-सहायता समूह के माध्यम से महिला सशक्तिकरण" पर प्रशिक्षण कार्यक्रम) किशोरी शक्ति योजना उडीश, आंगनवाडी कामगारों का प्रशिक्षण, एनआईपीसीसीबी, राष्ट्रीय महिला कोष इत्यादि जैसे अन्य कार्यक्रम।	परम्परागत तंत्र में निर्धन तथा सम्पतिहीन महिलाओं को अद्यतन कौशल तथा नए ज्ञान प्रदान करना अधिकतम अपरम्परागत व्यवसायों में निर्धन महिलाओं को प्रशिक्षण गृहणियों तथा किशोरावस्था की लड़कियों को इस दृष्टि से कि आवश्यक माइक्रोन्यूट्रिएंटस प्रदान करने वाले फलों व सब्जियों के परिरक्षण एवं उपभोग को प्रोत्साहन मिले। साथ-साथ आवश्यक कौशल प्रदान करना जिसका आय सृजन हेतु उपयोग किया जा सके। विपण्य व्यवसायों में महिलाओं को प्रशिक्षित करना तथा लाभकर रोजगार अवसर प्राप्त करने के लिए उनके कौशलों का भी उन्नयन करना। महिलाओं में प्रभावी स्व-सहायता समूह गठित करना। घर आधारित तथा व्यावसायिक कौशलों में सुधार करने के लिए किशोरियों को प्रशिक्षित एवं लैस करना।	अल्पावधि पाठ्यक्रम दो सप्ताह न्यूनतम 60 दिन

6.4 अर्थव्यवस्था के अनेक क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ कौशल की अत्यधिक आवश्यकता है परन्तु कोई भी मंत्रालय, कौशल विकास उदारहरणत:, निर्माण क्षेत्र, आईटी योग्य सेवा, उपभोक्ता तथा खुदरा क्षेत्र, वित्तीय क्षेत्र इत्यादि में संलग्न नहीं है। निजी क्षेत्र में प्रशिक्षण गतिविधियाँ बाजार मांग के अनुरूप चलाई जा रही हैं परन्तु मंत्रालय के स्तर पर किसी प्रकार का प्रबोधन एवं आयोजना नहीं की जाती। यह नीति संबंधित मंत्रालयों/विभागों को कौशल विकास में उनकी भागीदारी में वृद्धि करने हेतु प्रोत्साहित करेगी। वे इसका पालन प्रत्यक्ष रुप से या भागीदार संगठनों के माध्यम से कर सकते हैं।

6.5 कौशल विकास पर प्रधानमंत्री राष्ट्रीय परिषद ने वर्ष 2022 तक 500 मिलियन व्यक्तियों का लक्ष्य रखा है। तदनुरूप सभी मंत्रालय कौशल विकास योजनाएं तैयार करेंगे तथा 11वीं, 12वीं, 13वीं पंचवर्षीय योजनाओं हेतु लक्ष्य निर्धारित करेंगे तथा योजना आयोग प्लान स्कीमों के तहत उपर्युक्त लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक संसाधनों का आबंटन करेगा। योजना आयोग यह भी सुनिश्चित करेगा कि सभी मंत्रालय अपने वार्षिक योजनाओं में कौशल विकास और रोजगार हेतु आवश्यक प्रावधान कर रहें हैं तथा कौशल विकास एवं रोजगार हेतु लक्ष्य/महत्वपूर्ण बिंदु निर्धारित कर रहें है। सभी लक्ष्य इन उद्देश्यों को प्राप्त करने के संबंध में होंगे।

6.6 सभी मंत्रालय/विभाग अपनी वार्षिक रिपोर्ट में "कौशल विकास तथा रोजगार सृजन" पर एक अनुबंध शामिल करेंगे। श्रम और रोजगार मंत्रालय इस उद्देश्य हेतु आवश्यक फार्मेट तैयार करेगा।

6.7 राष्ट्रीय कौशल विकास निगम असंगठित क्षेत्र की आवश्यकताओं सहित श्रम बाजार की अपेक्षा को पूरा करने के लिए कौशल विकास योजना भी तैयार करेगा। यह निगम वर्ष के दौरान किए गए कौशल विकास पर विनिर्दिष्ट फार्मेट में वार्षिक रिपोर्ट भी प्रस्तुत करेगा।

6.8 विभिन्न मंत्रालयों/विभागों/संगठनों हेतु वर्ष 2022 तक प्रशिक्षण संस्थानों की वर्तमान संख्या, प्रशिक्षण की उनकी वार्षिक क्षमता तथा प्रशिक्षित व्यक्तियों की अनुमानित संख्या निम्न प्रकार है। लक्ष्य संबंधित क्षेत्रों में अनुमानित रोजगार संभाव्यता पर आधारित हैं। हालांकि, इसकी समीक्षा क्षेत्रों के विकास तथा उनकी वास्तविक कार्यबल आवश्यकता के अनुसार समय-समय पर की जा सकती है।

क्र. सं.	मंत्रालय/विभाग/संगठन	सस्थानों की वर्तमान संख्या	प्रतिवर्ष वर्तमान प्रशिक्षण क्षमता (लाख में)	वर्ष 2022 तक प्रशिक्षित व्यक्तियों की अनुमानित संख्या (लाख में)
1.	राष्ट्रीय कौशल विकास निगम	--	--	1500
2.	श्रम और रोजगार	33,000	12.22	1000
3.	पर्यटन	38	0.17	50
4.	वस्त्र	277	0.15	100
5.	परिवहन	1	0.02	300
6.	आदिवासी मामले	63	0.06	
7.	ग्रामीण विकास (आरयूडीएसईटीआई तथा आईएल एवं एफएस)	156	5.48	200
8.	महिला एवं बाल कल्याण	68	17.50	100
9.	कृषि	72	19.81	200
10.	मानव संसाधन विभाग उच्च शिक्षा मानव संसाधन विभाग व्यावसायिक शिक्षा	10,000 (व्यावसायिक स्कूल)	19.60	500
		इंजीनियरी कॉलेज 2297 पॉलीटेकनिक- 1675	14.00	
11.	भारी उद्योग विभाग	*	*	100
12.	शहरी विकास	34	0.013	150
13.	सूचना प्रौद्योगिकी विभाग	1000 (संबद्ध केन्द्र) + 7 सीडीएसी	1.37	100
14.	खाद्य प्रसंस्करण उद्योग	34	0.10	50
15.	निर्माण उधोग विकास परिषद (योजना आयोग के तहत)	147	4.64	200
16.	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	3802	1.35	100
17.	अति लघु मध्यम उद्यम	356	2.92	150
18.	सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण	गैर सरकारी संगठनों तथा अन्यों के माध्यम से		50
19.	अप्रवासी भारतीय मामले	एमएसएमई/राज्य सरकार/सीआईआई/गैर सरकारी संगठन इत्यादि के साथ भागीदारी में	0.13	50
20.	वित्त-बीमा/बैंकिंग	*		100
21.	उपभोक्ता मामले	*		100
22.	रसायन एवं उरर्वक	6	0.19	50
23.	अन्य (विद्युत, पेट्रोलियम इत्यादि)	लागू नहीं		150
		योग	99.46	5300

अर्थात् 53 करोड़

वर्तमान में ये मंत्रालय रोजगार-पूर्व प्रशिक्षण गतिविधियों में प्रत्यक्ष रुप से शामिल नहीं है।

अध्याय - 7

कौशल विकास का वित्तप्रबंध

7.1 कौशल विकास न केवल व्यक्ति विशेष, बल्कि रोजगार देने वाले उद्यमों को भी तथा अर्थव्यवस्था को सम्पूर्ण रूप से प्रतिलाभ देता है। अत: समस्त पणधारियों, सरकार-केन्द्र तथा राज्य, उद्यम-सार्वजनिक तथा निजी तथा प्रत्यक्ष लाभार्थी-व्यक्ति विशेष को कौशल विकास हेतु वित्तीय या वस्तु के रूप में संसाधनों को जुटाने के भार को बांटना होगा।

7.2 पर्याप्त केन्द्रीय परिव्यय के अतिरिक्त, इस नीति में परिकल्पित आदेश को पूरा करने के लिए योजना आयोग राज्य योजनाओं में कौशल विकास हेतु विशेष बजटीय प्रावधान भी प्रदान करेगा। इसके अतिरिक्त, नवप्रवर्तनकारी विधियों के माध्यम से कौशल विकास में निजी क्षेत्र के निवेश को प्रोत्साहित किया जाएगा।

7.3 एक राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (एनएसडीसी) 1,000 करोड़ रुपए की केन्द्र सरकार की वचनबद्धता के साथ स्थापित किया गया है। अन्य सरकारों, सार्वजनिक क्षेत्र के निकाय, निजी क्षेत्र, द्विपक्षी एवं बहुपक्षी स्रोतों से 15,000 करोड़ रुपए सृजित करने की परिकल्पना की गई है।

अध्याय - 8

भविष्य के लिए कार्रवाई करना

8.1 प्रौद्योगिकी द्वारा संचालित वैश्वीकरण तथा नई ज्ञान अर्थव्यवस्था

व्यावसायिक प्रतिरूप बदल रहे हैं; नए कार्य और नए पद, कार्य विस्तार, कार्य समृद्धि और कार्य की नई लचीली व्यवस्थाएं उत्पन्न हो रही हैं। रोजगार मांग उच्चतर कौशल श्रेणियों की ओर अंतरित हो रही हैं।

8.1.1 इसलिए भारत के लिए उच्च-कौशल सेवाओं और उच्च प्रौद्योगिकी औद्योगिक उत्पादन- दोनों में नए प्रकार के ज्ञान कार्य के लिए उच्चतर शिक्षा और व्यापक प्रशिक्षण के साथ कौशल का उपयोग करना और अधिकाधिक शिक्षितों को तैयार करना अनिवार्य है।

ज्ञानवान पेशेवर को नए ज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में अर्ध-कुशल कामगारों से सहायता की जरूरत होगी। कौशल विकास प्रणाली को यह चुनौती पूरी करनी होगी। उत्तर के लिए समय सीमित है क्योंकि परिवर्तन की दर उच्च है, और बढ़ रही है।

8.2 उत्कृष्टता का संवर्धन

उत्कृष्टता का संवर्धन करने के लिए, अच्छा निष्पादन करने वाले संस्थानों की काफी संख्या को उत्कृष्ट संस्थानों में विकसित करने में सहायता प्रदान की जाएगी। इन संस्थानों को व्यापक रुप से साधन सम्पन्न किया जाएगा, अन्तराष्ट्रीय स्तर की सुविधाओं तथा उच्च कोटि के संकाय से लैस किया जाएगा तथा वर्तमान व उभरते हुए प्रोद्योगिकीय क्षेत्रों में उच्च कोटि के कार्यक्रम भी आयोजित कर सकेंगे। ये संस्थान अपने नजदीक के अनेक प्रशिक्षण संस्थानों के साथ जुडे होंगे तथा उनके विकास में सहयोग देने में अग्र संस्थानों के रुप में कार्य करेंगे।

8.3 प्रयोग, नवप्रवर्तन और अनुसंधान

(क) नीति ऐसी राष्ट्रीय कौशल विकास पहल की स्थापना को बढ़ावा देती है, जो अत्यधिक गतिशील और द्रुत गति वाली है। यह भविष्य की आवश्यकताओं का हमेशा बहिर्वेशन करती रहेगी। इसे शीघ्र और विश्वव्यापी पर्यावरण में परिवर्तनों के प्रति निरंतर क्रियात्मक रहना होगा, उनसे सीखना होगा और नए दृष्टिकोणों और संरचनाओं के साथ प्रयोग करना होगा। नवप्रवर्तन की संस्कृति भविष्य की प्रणाली का संचालन करेगी।

(ख) परिवर्तन की व्यवस्था करने और इससे लाभान्वित होने के लिए अनुसंधान मुख्य कार्यनीति होगी। चूंकि प्रयोग और नवप्रवर्तन गतिशील और आत्मविश्वास वाले पर्यावरण में फलता-फूलता है, इसलिए योग्य संस्थानों को लोच और प्रचालनात्मक स्वायत्तता दी जाएगी।

(ग) संगठनात्मक व्यवहारों और अध्यापन दृष्टिकोणों और अंतरराष्ट्रीय घटनाओं में अनुसंधान एक सतत कार्य होगा। इस उद्देश्य के लिए स्थायी संस्थागत व्यवस्थाएं की जाएंगी और इन व्यवस्थाओं और बाहरी अनुसंधान संस्थानों- दोनों में अनुसंधान का वित्तपोषण किया जाएगा।

8.4 नीति की पुनरीक्षा

8.4.1 कौशलों के विकास को एक उच्च गतिशील वातावरण में रखा गया है और यह आवश्यक है कि नीति की प्रासंगिकता को बनाए रखने के लिए इसमें आवधिक पुनरीक्षा एवं संशोधन हो।

8.4.2 कौशलों के विकास पर राष्ट्रीय नीति की प्रत्येक 5 वर्षों में पुनरीक्षा की जाएगी और राष्ट्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय वातावरण में उभरती हुई प्रवृत्तियों तथा कार्यान्वयन की प्रगति का जायजा लेकर उपयुक्त संशोधन किया जाएगा। अनुसंधान तथा अच्छी परिपाटी का संवर्धन वे महत्वपूर्ण गतिविधियां हैं जो उभरती हुई आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु इस नीति तथा कौशल विकास पहल को सबल बनाएंगी। पुनरीक्षा को आधार प्रदान करने के लिए नीति के कार्यान्वयन का सतत् प्रबोधन किया जाएगा।